



पहली
FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2010-2011

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

अगस्त August, 2010

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच, 2010-2011

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2010-2011.

वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 61 अनुदान और 2 विनियोग शामिल हैं। 68,294.30 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 54,588.63 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय के तकनीकी पूरक प्रस्तावों की राशि 13,705.09 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 58 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2010-2011 includes 61 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 68,294.30 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 54,588.63 crore and technical supplementary proposals involving gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 13,705.09 crore. Besides, token provision of Rs. 58 Lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. 54,588.63 करोड़ रुपए के निवल नकद व्यय से बजट अनुमान 2010-2011 में अनुमानित राजस्व घाटे पर कर-भिन्न राजस्व के तहत अतिरिक्त प्राप्तियों के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. The net cash outgo of Rs. 54,588.63 crore will not have any adverse impact on the Fiscal Deficit projected in Budget Estimate 2010-2011 due to excess receipts under Non-Tax Revenue.

3. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
1 कृषि तथा सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
निम्नलिखित के लिए (क) 'वैश्विक कार्य योजना के कार्यान्वयन' योजना के अन्तर्गत नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को सामान्य सहायता अनुदान (0.11 करोड़ रुपए), (ख) 'बीजों के उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी बीज ढांचागत सुविधाओं के विकास और सुदृढीकरण स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (32 करोड़ रुपए), और (ग) दावों के संवितरण हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु साधारण बीमा कम्पनी/कृषि बीमा कम्पनी का भुगतान (2,212 करोड़ रुपए)।	For (a) Grants-in-aid-General to National Bureau of Plant Genetic Resources under the scheme 'Implementation of Global Plan of Action' (Rs. 0.11 crore), (b) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds' (Rs. 32 crore), and (c) payment to General Insurance Company(GIC)/Agricultural Insurance Company (AIC) for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) for disbursement of claims (Rs. 2,212 crore).	2,212.00	-	2,212.00
2 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
छटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर और कृषि शिक्षा के तहत उसके बकाया राशियों के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन, पेंशन आदि के संशोधन के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research due to revision of salaries, pension, etc. of university teachers of State Agricultural Universities on implementation of the VI CPC recommendations and arrears thereof under Agricultural Education.	-	1,074.00	1,074.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
हरियाणा में 'नाभिकीय ऊर्जा सहभागिता हेतु वैश्विक केन्द्र' के पहले चरण की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण, वार्षिकी प्रभार और सम्बद्ध आधारभूत अवसंरचना के कारण व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on account of acquisition of land, annuity charges and related infrastructure for establishing phase-I of 'Global Centre for Nuclear Energy Partnership' in Haryana.	80.00	-	80.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6 रसायन और उर्वरक विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) असम गैस परियोजना को पूंजी सब्सिडी उपलब्ध करने हेतु (579 करोड़ रुपए), (ii) केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना के अन्तर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (69.94 करोड़ रुपए), कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (3.10 करोड़ रुपए) और पेट्रोरसायन की नई योजनाएं (79 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) providing capital subsidy for Assam Gas Project (Rs. 579 crore), (ii) Grants for creation of capital assets under the Scheme of Central Institute of Plastics Engineering and Technology (Rs. 69.94 crore), Institute of Pesticides Formulation Technology (Rs. 3.10 crore), and new schemes of Petrochemicals (Rs. 79 crore).	579.00	-	579.00
(ख) भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों को अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु।	(b) To provide ex-gratia to victims of Bhopal Gas Leak Disaster.	-	669.00	669.00
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा सेवा कर के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the expenditure on payment of Service Tax by the Directorate General of Supplies and Disposals.	-	13.50	13.50
(ख) लघु कॉफी उत्पादकों को राहत हेतु सरकार की 50% भागीदारी के कारण कॉफी ऋण राहत पैकेज-2009 के कारण कॉफी बोर्ड को भुगतान हेतु।	(b) For payment to Coffee Board on account of Coffee Debt Relief Package-2009 to small coffee growers being 50% share of Government for the relief.	-	241.00	241.00
(ग) चर्म तथा चर्म विनिर्माताओं, जूट विनिर्माताओं इंजीनियरिंग सामान तथा वस्त्र के सम्बन्ध में रूपया निर्यात क्रेडिट पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु।	(c) For providing interest subvention of 2% on Rupee Export credit in respect of Leather & Leather Manufacturers, Jute Manufacturers, Engineering Goods and Textiles.	-	404.00	404.00
12 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
निवेश सब्सिडी योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पंचाट के अनुसार तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चेन्नई को सब्सिडी भुगतान के रूप में प्रतिपूर्ति हेतु।	For reimbursement as subsidy payment to Tamil Nadu Small Industries Development Cooperation Limited, Chennai as per the award given by Supreme Court under Investment Subsidy Scheme.	0.02	-	0.02
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) मद्रास उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिग्रहण चंडीगढ़ द्वारा दिए गए पंचाट के कारण किराया, वेतन तथा मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु।	(a) For making payment of arrears of rent, salary and wages arising out of awards given by High Court of Madras and Central Administrative Tribunal, Chandigarh.	-	0.46	0.46
(ख) केरल के डाक घर के लिए भूमि अधिग्रहण में क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में भुगतान हेतु।	(b) For payment towards compensation in land acquisition for Post Office in Kerala.	0.08	-	0.08
15 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	15 Department of Information Technology			
मौजूदा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सहायता देने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure to support implementation of ongoing National Knowledge Network programme.	1,012.00	-	1,012.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
(क) गन्ना विकास निधि को अन्तरण	(a) For transfer to Sugar Development Fund.	-	800.00	800.00
(ख) कोर्ट डिक्री को पूरा करने हेतु व्यय की पूर्ति के लिए।	(b) For meeting expenditure to satisfy court decree.	-	0.01	0.01
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
18 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	18 Ministry of Corporate Affairs			
भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान के सम्बन्ध में परियोजना और प्रचालनात्मक लागत तथा वचनबद्ध व्यय के लिए भुगतान हेतु।	For payment towards project and operational cost and committed expenditure in respect of Indian Institute of Corporate Affairs.	47.36	-	47.36
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
कला और संस्कृति से सम्बद्ध विभिन्न संस्थानों तथा योजनाओं को सहायता अनुदान (105.81 करोड़ रुपए)।	For Grants-in-aid to various institutions and schemes (Rs. 105.81 crore) relating to Art and Culture.	-	83.20	83.20
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
22 रक्षा सेवाएं - थल सेवा	22 Defence Services-Army			
पूर्वी क्षेत्र में न्यू रेजिंग्स के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting the additional expenditure on account of New Raisings in the Eastern Sector.	-	1,500.00	1,500.00
23 रक्षा सेवाएं - नौसेना	23 Defence Services-Navy			
हैदराबाद और मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विवाचन पंचाट के कारण क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु।	For payment of compensation arising out of arbitration award given by High Court of Hyderabad and Mumbai.	-	3.20	3.20
25 रक्षा आयुध कारखाने	25 Defence Ordnance Factories			
न्यायालय आदेशों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure arising out of court orders.	-	1.15	1.15
27 रक्षा सेवाएं पर पूंजी परिव्यय	27 Capital Outlay on Defence Services			
निम्नलिखित के सम्बन्ध में (i) न्यायालय आदेशों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (20.25 करोड़ रुपए), (ख) पूर्वी क्षेत्र में न्यू रेजिंग्स हेतु व्यय (513 करोड़ रुपए) और (ग) जम्मू तथा कश्मीर में न्यायालय आदेशों पर भूमि अधिग्रहण और पूर्वी क्षेत्र में नए सिरे से अधिग्रहण (300 करोड़ रुपए)।	For (a) meeting additional expenditure arising out of court orders (Rs. 20.25 crore), (b) expenditure for New Raisings in Eastern Sector (Rs. 513 crore), and (c) land acquisition on Court orders in Jammu and Kashmir and fresh acquisition in Eastern Sector (Rs. 300 crore).	-	833.25	833.25
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31 विदेश मंत्रालय	31 Ministry of External Affairs			
कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत प्रशासित विभिन्न गतिविधियों पर व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on various activities administered under Colombo Plan.	-	6.00	6.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32 आर्थिक कार्य विभाग	32 Department of Economic Affairs			
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) में भारत का कोटा बढ़ाने हेतु।	For India's quota increase in the International Monetary Fund (IMF).	-	2,860.11	2,860.11
33 वित्तीय सेवा विभाग	33 Department of Financial Services			
(क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता का अन्तरण (1450 करोड़ रुपए) तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (450 करोड़ रुपए)।	(a) For transfer of RBI shareholding in National Bank for Agriculture and Rural Development (Rs. 1450 crore) and National Housing Bank (Rs. 450 crore).	1,900.00	-	1,900.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को ऋण के पास थू हेतु।	(b) For passing through of the loan from International Development Association (IDA) to Small Industrial Development Bank of India.	-	420.12	420.12
35 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण निम्नलिखित के लिए (क) जम्मू तथा कश्मीर को विशेष आयोजना सहायता (1,779 करोड़ रुपए), (ख) जम्मू तथा कश्मीर सहित विशेष श्रेणी राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता (2,500 करोड़ रुपए), (ग) कपड़ा उद्योगों को बनाए रखने हेतु-बहिःस्त्राव शोधन हेतु तिरुपुर, तमिलनाडु में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम की स्थापना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (100 करोड़ रुपए) और (घ) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (2,000 करोड़ रुपए)।	35 Transfers to State and Union Territory Governments For (a) Special Plan Assistance to Jammu and Kashmir (Rs. 1,779 crore), (b) Special Central Assistance to Special Category States including Jammu & Kashmir (Rs. 2,500 crore), (c) Additional Central Assistance (ACA) for establishment of Zero Liquid Discharge System in Tirupur, Tamil Nadu for effluent treatment to sustain textile industries (Rs. 100 crore), and (d) ACA for Externally Aided Project (Rs. 2,000 crore).	6,379.00	-	6,379.00
41 राजस्व विभाग केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	41 Department of Revenue For meeting additional requirement for compensation to State Governments for revenue loss due to phasing out of Central Sales Tax.	-	1,000.00	1,000.00
भारी उद्योग तथा सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
49 भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित के लिए (क) ऑफशोर संविदा के कारण बकाया निपटान के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को सहायता अनुदान (6.42 करोड़ रुपए), (ख) लाभांश की प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का अनुदान (5.85 करोड़ रुपए) और (ग) सरकारी गारंटीशुदा ऋण तथा ब्याज के मोचन हेतु एचएमटी लि. को ऋण उपलब्ध कराना (103.98 करोड़ रुपए)।	49 Department of Heavy Industry For (a) Grants-in-aid to Oil and Natural Gas Corporation Limited towards settlement of outstanding dues of offshore contract (Rs. 6.42 crore), (b) Grants to Life Insurance Corporation of India towards reimbursement of dividend (Rs. 5.85 crore) and (c) providing loan to HMT Limited for redemption of Government Guaranteed loan and interest (Rs. 103.98 crore).	-	116.25	116.25
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 गृह मंत्रालय (क) निम्नलिखित के लिए (i) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के सम्बन्ध में आसूचना ब्यूरो परियोजना के एमएसी/एसएमएसी के लिए नई लीजिंग लाइनें (104.26 करोड़ रुपए), (ii) किराया, दरें तथा करों के अन्तर्गत अन्तरराज्यीय सचिवालय परिषद के व्यय की पूर्ति हेतु (0.02 करोड़ रुपए), विज्ञापन और प्रचार (0.95 करोड़ रुपए) और (iii) कार्यालय व्यय के अन्तर्गत असैन्य रक्षा से पुनरुज्जीवन हेतु व्यय (0.05 करोड़ रुपए), अन्य प्रशासनिक व्यय (0.20 करोड़ रुपए), विज्ञापन तथा प्रचार (0.14 करोड़ रुपए) और व्यावसायिक सेवाएं (0.20 करोड़ रुपए)। (ख) राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	51 Ministry of Home Affairs (a) For (i) new leasing lines for MAC/SMAC project of Intelligence Bureau for Commonwealth Games, 2010 (Rs. 104.26 crore), (ii) meeting expenditure of Inter State Council Secretariat under Rent, Rates and Taxes (Rs. 0.02 crore), Advertisement and Publicity (Rs. 0.95 crore) and (iii) expenditure for revamping of Civil Defence under Office Expenses (Rs. 0.05 crore), Other Administrative Expenses (Rs. 0.20 crore), Advertisement and Publicity (Rs. 0.14 crore) and Professional Services (Rs. 0.20 crore). (b) For meeting additional expenditure on National Population Register.	-	104.26	104.26
52 मंत्रिमण्डल (क) विशेष दूत की विदेश यात्रा व्यय हेतु सहायता अनुदान के अन्तर्गत (0.89 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (0.31 करोड़ रुपए)	52 Cabinet For meeting expenditure (a) under grants-in-aid for Foreign Travel Expenses of Special Envoy (Rs. 0.89 crore) and National	923.00	-	923.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) राष्ट्रीय परामर्शी परिषद (4.74 करोड़ रुपए) और (ग) निष्पादन प्रबन्धन प्रभाग (15.26 करोड़ रुपए) पर व्यय की पूर्ति हेतु।	Security Advisor (Rs. 0.31 crore), (b) on National Advisory Council (Rs. 4.74 crore) and (c) on Performance Management Division (Rs. 15.26 crore).	-	20.00	20.00
53 पुलिस	53 Police			
(क) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड के अन्तर्गत विधिक मामलों हेतु न्यायालय शुल्क, स्टाम्प शुल्क सहायक प्रभार आदि के भुगतान हेतु।	(a) For payment of court fees, stamp duties, ancillary charges for legal cases, etc. under National Intelligence Grid (NATGRID).	-	0.06	0.06
(ख) निम्नलिखित पर व्यय की पूर्ति हेतु (i) सीमा सुरक्षा बल का घरेलू यात्रा व्यय (220 करोड़ रुपए) और एअर कुरियर सेवाएं (128 करोड़ रुपए)। (ii) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की राशन लागत (150.39 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (90.50 करोड़ रुपए), (iii) सीआरपीएफ के अन्य प्रभार (27.19 करोड़ रुपए), (iv) सीआरपीएफ के शस्त्र तथा गोला बारूद (सामान्य) (50 करोड़ रुपए) और सशस्त्र सीमा बल (50 करोड़ रुपए) (v) एनएटीजीआरआईडी का स्थापना सम्बन्धी व्यय (37.58 करोड़ रुपए) (vi) असम राइफल्स की व्यावसायिक सेवाएं (0.20 करोड़ रुपए), फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय (0.16 करोड़ रुपए) (vii) विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बल का आधुनिकीकरण (41.20 करोड़ रुपए) (viii) केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बल के सम्बन्ध में भर्ती (20 करोड़ रुपए) और (ix) कश्मीर घाटी, में प्रतिबोधन प्रबंधन गतिविधियां (7.81 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting expenditure on (i) Domestic Travel Expenses (Rs. 220 crore) and Air Courier Services (Rs. 128 crore) of Border Security Force (BSF), (ii) Cost of Ration of Central Reserve Police Force (CRPF) (Rs. 150.39 crore) and Central Industrial Security Force (CISF) (Rs. 90.50 crore), (iii) other charges of CRPF (Rs. 27.19 crore), (iv) Arms and Ammunition (General) of CRPF (Rs. 50 crore) and Sashastra Seema Bal (Rs. 50 crore), (v) establishment related expenditure of NATGRID (Rs. 37.58 crore), (vi) Professional Services of Assam Rifles (Rs. 0.20 crore), Directorate of Forensic Science (Rs. 0.16 crore), (vii) Modernisation of Police Forces of the Union Territories without Legislature (Rs. 41.20 crore), (viii) Recruitment in respect of Central Para Military Forces (CPMFs) (Rs. 20 crore), and (ix) perception management activities in Kashmir Valley (Rs. 7.81 crore).	-	761.47	761.47
(ग) निम्नलिखित के लिए (i) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए विशेष पुलिस भर्ती और सीपीएमएफ के कैम्प स्थलों का सुदृढीकरण (500 करोड़ रुपए) (ii) जम्मू तथा कश्मीर हेतु सुरक्षा सम्बन्धी व्यय (470 करोड़ रुपए) और (ii) नक्सल प्रभावित राज्यों में किलाबंद पुलिस स्टेशन का निर्माण (10 करोड़ रुपए)।	(c) For (i) recruitment of Special Police for Left Wing Extremism affected States and strengthening of camp sites of CPMFs (Rs. 500 crore), (ii) security related expenditure for Jammu and Kashmir (Rs. 470 crore), and (iii) construction of fortified Police Stations in the Naxal affected States (Rs. 10 crore).	-	980.00	980.00
(घ) निम्नलिखित पर व्यय की पूर्ति हेतु (i) सीआरपीएफ की मशीनरी तथा उपस्कर के अन्तर्गत (112 करोड़ रुपए) (ii) कार्यालय भवन (200 करोड़ रुपए) (iii) प्रश्नपत्र दस्तावेजों के सरकारी परीक्षकों हेतु भवन निर्माण (0.50 करोड़ रुपए) (iv) सीआईएसएफ का आवासीय भवन (20 करोड़ रुपए) (v) बीएसएफ के विभिन्न बेसों पर एअर बेस के लिए स्थायी ढांचागत निर्माण पर (20.50 करोड़ रुपए) (vi) सीआरपीएफ हेतु शस्त्र तथा गोलाबारूद (62 करोड़ रुपए) (vii) बीएसएफ हेतु वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में एएनओ हेतु आईएनएमएआरएसएटी उपग्रह टेलीफोन की अधिप्राप्ति (210 करोड़ रुपए) और (viii)	(d) For meeting expenditure (i) under Machinery and Equipment of CRPF (Rs. 112 crore), (ii) on Office Building (Rs. 200 crore), (iii) construction of building for Government Examiner of Questioned Documents (Rs. 0.50 crore), (iv) on Residential Building of CISF (Rs. 20 crore), (v) on construction of permanent infrastructure for Air bases at various bases by BSF (Rs. 20.50 crore), (vi) on Arms and Ammunition (Modernisation) for CRPF (Rs. 62 crore), (vii) on procurement of INMARSAT Satellite telephone for ANO in Left Wing Extremist Areas for			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सशस्त्र सीमा बल हेतु बीस महिन्द्रा रक्षक और एलएटीसी की खरीद (21.15 करोड़ रुपए)	BSF (Rs. 210 crore) and (viii) on purchase of twenty Mahindra Rakshak and LATC for Sashastra Seema Bal (Rs. 21.15 crore).	-	604.00	604.00
54 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 में उपयोग हेतु मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs For procurement of Machinery and Equipment for utilisation in the Commonwealth Games, 2010.	-	36.73	36.73
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
निम्नलिखित के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान और अनुदान हेतु (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन (4,000 करोड़ रुपए) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु प्रावधान सहित सामान्य शिक्षा के तहत विभिन्न संस्थानों को (5,741.13 करोड़ रुपए)।	For Grants-in-aid-General and Grants towards creation of capital assets (a) for implementation of Right to Education Act (Rs. 4,000 crore) and (b) to various institutions (Rs. 5,741.13 crore) under General Education including provisions for the benefit of North-Eastern Region.	4,000.00	-	4,000.00
58 उच्च शिक्षा विभाग "विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार" योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान।	58 Department of Higher Education For Grants-in-aid-General to State Governments for meeting additional expenditure under the scheme "Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers".	-	2,000.00	2,000.00
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
निम्नलिखित के लिए (क) (i) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम का केन्द्रीय हिस्सा जारी करना (75 करोड़ रुपए) (ii) वामपंथी अतिवाद क्षेत्रों के युवा को दक्षता प्रशिक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए सहित "दक्षता विकास पहल" योजना के तहत लम्बित बिलों के निपटान और प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (100 करोड़ रुपए)।	For (a) (i) releasing Central Share of Rashtriya Swasthya Bima Yojana Scheme to State Governments (Rs. 75 crore), (ii) meeting additional expenditure towards clearing pending bills and providing training under the scheme 'Skill Development Initiative' (Rs. 100 crore) including Rs. 50 crore for skill training for the youth of Left Wing Extremism areas.	175.00	-	175.00
(ख) माड्यूलर एम्प्लोएबल स्कीम के तहत जम्मू और कश्मीर के युवा के दक्षता विकास के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) providing grants-in-aid for Skill Development of the Youth of Jammu and Kashmir under Modular Employable Scheme .	11.00	-	11.00
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
62 विधि एवं न्याय	62 Law and Justice			
निम्नलिखित के लिए (क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) बार काउंसिल आफ इंडिया को इसके भवन के पुनरुद्धार कार्य के लिए (1.27 करोड़ रुपए), (ii) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद निपटान केन्द्र के भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए "अनावर्ती व्यय" की पूर्ति हेतु (2.25 करोड़ रुपए), और (ख) मतदाता फोटो पहचान कार्ड (ईपीआईसी) तैयार करने के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु (150 करोड़ रुपए), (ii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीद के संबंध में भुगतान (115 करोड़ रुपए)।	For (a) providing Grants-in-aid (i) to Bar Council of India for its building renovation work (Rs. 1.27 crore), (ii) for meeting 'non-recurring expenses' for building purposes of International Centre for Alternative Dispute Resolution (Rs. 2.25 crore), and (b) (i) meeting expenditure in connection with preparation of Electors' Photo Identity Cards (EPIC) (Rs. 150 crore), (ii) payment towards purchase of Electronic Voting Machines (Rs. 115 crore).	-	268.52	268.52

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65 खान मंत्रालय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले की वजह से मजदूरी की बकाया राशि के भुगतान के लिए।	65 Ministry of Mines For meeting payment of wage arrears arising out of judgement awarded by the Central Administrative Tribunal.	-	0.14	0.14
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
71 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता और शिक्षा अभियान आरंभ करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भुगतान हेतु।	71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions For payment to Central Vigilance Commission for undertaking awareness and education campaign against corruption.	-	4.00	4.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में तेल विपणन कम्पनियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु।	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing compensation to Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of petroleum products.	-	14,000.00	14,000.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
81 ग्रामीण विकास विभाग निम्नलिखित के लिए (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (6,300 करोड़ रुपए) और वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना के तहत पीएमजीएसवाई के लिए 2,000 करोड़ रुपए के प्रावधान हेतु, (ख) पीएमजीएसवाई के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के प्रावधान का संवर्धन (700 करोड़ रुपए) और (ग) झारखंड राज्य में अतिरिक्त एक लाख मकानों के निर्माण के संबंध में ग्रामीण आवास के तहत इंदिरा आवास योजना की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए (337.50 करोड़ रुपए)।	81 Department of Rural Development For (a) meeting additional requirement of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) (Rs. 6,300 crore) including provision of Rs. 2,000 crore for left wing extremism affected districts for PMGSY under integrated action plan for the affected areas, (b) augmentation of provision for the projects/schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim (Rs. 700 crore) under PMGSY, and (c) meeting additional requirement (Rs. 337.50 crore) of Indira Awaas Yojana under Rural Housing towards construction of additional one lakh houses in the State of Jharkhand.	7,337.50	-	7,337.50
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय निम्नलिखित के लिए (क) भारतीय कपास निगम को कपास पर न्यूनतम समर्थन मूल्य आपरेशन के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति (500 करोड़ रुपए) और (ख) बकाया वेतनों और मजदूरियों के भुगतान के लिए ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के संसाधनों में अंतर की पूर्ति (12.50 करोड़ रुपए)।	92 Ministry of Textiles For (a) re-imbusement of losses (Rs. 500 crore) to Cotton Corporation of India on account of MSP Operation on cotton, and (b) meeting the gap (Rs. 12.50 crore) in resources of British India Corporation for payment of outstanding salaries and wages.	-	512.50	512.50
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास विभाग चरण II नेटवर्क संबंधी कार्य के संबंध में डीएमआरसी को इक्विटी अंशदान हेतु।	100 Department of Urban Development For equity contribution to DMRC in connection with work related to Phase-II Network.	300.00	-	300.00
101 लोक निर्माण कार्य (क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (i) राजघाट की मरम्मत/पुनरुद्धार कार्य (0.37 करोड़ रुपए) और	101 Public Works (a) For meeting additional requirement for (i) the repair/renovation work of the Rajghat (Rs. 0.37 crore) and (ii)			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ii) सेन्ट्रल विस्टा में सजावट का कार्य और राष्ट्रमंडल खेल, 2010 संबंधी चालू निर्माण कार्यों को पूरा करना (35 करोड़ रुपए)।	sprucing up works at central Vista and completion of ongoing works relating to Commonwealth Games, 2010 (Rs. 35 crore) .	-	35.37	35.37
(ख) स्टेडियम के चारों ओर दिल्ली की सड़कों की स्ट्रीट स्केपिंग और सौन्दर्यविषयक कार्य, राष्ट्रमंडल खेल स्थलों के आस पास के क्षेत्र में मरम्मत और पुनर्वास, उन्नयन और दिखावट में सुधार।	(b) For meeting additional requirement to complete the works like street scaping of Delhi Roads around Stadium and Aesthetic Work, Repair and Rehabilitation, Upgradation and façade improvement in the vicinity of Commonwealth Games Venues.	34.50	-	34.50
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
103 जल संसाधन मंत्रालय	103 Ministry of Water Resources			
निम्नलिखित के लिए (क) किशनगंगा पन बिजली परियोजना के संबंध में पंचाट न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए विवाचकों/निर्णायकों और विशेषज्ञों का शुल्क (30 करोड़ रुपए) और (ख) महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण के संबंध में स्थापना संबंधी व्यय (3.01 करोड़ रुपए)।	For (a) meeting fees of Arbitrators/Umpires and experts for proceedings of Court of Arbitration on Kishenganga Hydro-Electric Project (Rs. 30 crore) and (b) establishment related expenditure towards Mahadayi Water Dispute Tribunal (Rs. 3.01 crore).	-	30.00	30.00
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
105 युवा मामले और खेल मंत्रालय	105 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु निम्नलिखित के लिए (i) सुरक्षा (20.71 करोड़ रुपए) (ii) आर के खन्ना स्टेडियम की भार क्षमता बढ़ाने हेतु बाम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भुगतान (1.44 करोड़ रुपए) और (iii) प्रौद्योगिकी उपस्कर कक्ष के लिए एयर कंडीशनर (0.30 करोड़ रुपए)।	(a) For Grants-in-aid for (i) Security (Rs. 20.71 crore), (ii) making payment to Bombay Suburban Electricity Supply for enhancing the load capacity of R.K Khanna Stadium (Rs. 1.44 crore) and (iii) providing Air Conditioner for Technology Equipment Room (Rs. 0.30 crore), for Commonwealth Games, 2010' .	22.45	-	22.45
(ख) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजन समिति को उद्घाटन और समापन समारोह के संबंध में ऋण और अग्रिम।	(b) For loans and advances to Organising Committee for Commonwealth Games, 2010 towards Opening and Closing Ceremony.	-	193.42	193.42
जोड़ नकद व्यय	Total Cash Outgo	25,012.91	29,575.72	54,588.63
4. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 13,705.09 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा की जाती है। मदें निम्नलिखित हैं :	4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs. 13,705.09 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ Departments. The items are as follows:			
अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें	Technical Supplementary Demands for grants			
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
रोहिणी. दिल्ली में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड को भूमि लागत के संबंध में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए।	For Grants for creation of capital assets towards land cost to Pawan Hans Helicopter Limited for construction of Heliport at Rohini, Delhi.	19.00	-	19.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) "प्रोजेक्ट एरो" के कार्यान्वयन हेतु (24 करोड़ रुपए) और (ख) डाकघरों की "कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग" योजना के तहत (121 करोड़ रुपए)।	13 Department of Posts For meeting additional expenditure (a) for implementation of 'Project Arrow' (Rs. 24 crore) and (b) under scheme 'Computerisation and Networking of Post Offices' (Rs. 121 crore).	145.00	-	145.00
14 दूरसंचार विभाग 3 जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस स्पेक्ट्रम के नीलामकारों को भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए।	14 Department of Telecommunications For meeting expenditure towards payment to Auctioneers of 3G and Broadband Wireless Access spectrum.	-	30.56	30.56
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
18 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ई-गवर्नेंस अभिक्रम की देख-रेख के लिए विशेष प्रयोजन साधन के प्रचालन हेतु ऋण प्रदान करने के लिए।	18 Ministry of Corporate Affairs For extending loan for operationalisation of Special Purpose Vehicle to deal with e-Governance initiatives.	-	2.00	2.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय (क) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को पोत निर्माण सब्सिडी प्रदान करने हेतु। (ख) जिला न्यायालय, कोलकाता द्वारा दिए गए निर्देशों की वजह से भुगतान करने हेतु।	20 Ministry of Defence (a) For providing shipbuilding subsidy to Hindustan Shipyard Limited. (b) For making payment arising out of the directions given by District Court, Kolkata.	-	40.00	40.00
		-	0.05	0.05
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32 आर्थिक कार्य विभाग (क) आईएमएफ में भारत के कोटे में बढ़ोत्तरी के संबंध में प्रतिभूतियों के सृजन हेतु। (ख) वर्ष 1995 में तुर्कमेनिस्तान सरकार को प्रदत्त ऋण श्रृंखला के एवज में (i) बकाया देय राशि (4.50 करोड़ रुपए) तथा (ii) ब्याज/दंड ब्याज (20 करोड़ रुपए) को माफ करने हेतु।	32 Department of Economic Affairs (a) For creation of securities towards India's quota increase at IMF. (b) For waiving of (i) outstanding dues (Rs. 4.50 crore) and (ii) interest/penal interest (Rs. 20 crore) against the line of credit extended to Government of Turkmenistan in the year 1995.	-	8,467.04	8,467.04
33 वित्तीय सेवा विभाग स्वावलम्बन योजना को निधिपोषण सहायता प्रदान करने हेतु।	33 Department of Financial Services For providing funding support to Swavalamban Scheme.	-	110.00	110.00
37 विनियोग-ऋण की वापसी अदायगी निम्नलिखित के भुगतान हेतु (क) आईएमएफ को वित्तीय लेन-देन योजना के तहत खरीद सौदे के संबंध में (3,861.29 करोड़ रुपए) और (ख) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) को आईबीआरडी यूएसडी नोट सं.1 के नकदीकरण के लिए (33.30 करोड़ रुपए)।	37 Appropriation-Repayment of Debt For making payment to (a) IMF towards purchase transaction under Financial Transaction Plan (Rs. 3,861.29 crore) and (b) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) for encashment of IBRD USD Note No. 1 (Rs. 33.30 crore).	-	3,894.59	3,894.59
41 राजस्व विभाग निम्नलिखित के लिए (क) नई दिल्ली में राजस्व भवन का निर्माण (26 करोड़ रुपए) और (ख) गाजीपुर और नीमच में सरकारी अफीम और क्षारोद निर्माण कार्यों के लिए मशीनों की खरीद (1 करोड़ रुपए)।	41 Department of Revenue For (a) construction of Rajaswa Bhawan in New Delhi (Rs. 26 crore) and (b) purchasing of machines for the Government Opium and Alkaloid Works at Ghazipur and Neemuch (Rs. 1 crore).	-	27.00	27.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
निम्नलिखित के लिए (क) डीडीटी की कीमतों में वृद्धि हेतु पिछली देयताओं का निपटान और साथ ही डीडीटी की अधिक खरीद (100 करोड़ रुपए), (ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाले संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान (179.78 करोड़ रुपए)।	For (a) settling past liabilities for increase in prices of DDT and also more procurement of DDT (Rs. 100 crore), (b) Grants-in-aid-General to Institutes under Medical and Public Health (Rs. 179.78 crore)	-	100.00	100.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
52 मंत्रिमंडल	52 Cabinet			
विशेष रक्षा दल के मोटर वाहन (5 करोड़ रुपए) और मशीनरी और उपस्कर (12 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on Motor Vehicles (Rs. 5 crore) and Machinery and Equipment (Rs. 12 crore) of Special Protection Group.	-	17.00	17.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
58 उच्च शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
निम्नलिखित को विशेष सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सामान्य सहायता अनुदान (क) दिल्ली विश्वविद्यालय (33.25 करोड़ रुपए), (ख) मैसूर विश्वविद्यालय (30 करोड़ रुपए) और (ग) पंजाब विश्वविद्यालय (30 करोड़ रुपए) और (घ) विभिन्न संस्थाओं को पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए (2533.24 करोड़ रुपए)।	For Grants-in-aid-General to University Grants Commission for special assistance to (a) University of Delhi (Rs. 33.25 crore), (b) University of Mysore (Rs. 30 crore), and (c) University of Punjab (Rs. 30 crore) and (d) for Grants for creation of capital assets to various institutions (Rs. 2533.24 crore).	93.25	-	93.25
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74 विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
(क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting establishment related expenditure of Central Electricity Regulatory Commission.	-	24.45	24.45
(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित कोयला खंडों के संबंध में कोयला उत्पादन क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिगृहीत भूमि की क्षतिपूर्ति के संवितरण हेतु।	(b) For disbursement of compensation of land acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in respect of Coal Blocks allotted to National Thermal Power Corporation Limited.	710.65	-	710.65
जोड़ तकनीकी	Total Technical	967.90	12,737.19	13,705.09
5. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में 1 लाख रुपए प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोजन से की जाएगी।	5. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
1 कृषि तथा सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
निम्नलिखित के लिए (क) 'बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण' योजना के तहत पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.75 करोड़	For (a) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds'			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रुपए) और (ख) 'राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन' योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए कार्यान्वयनकारी एजेन्सियों को सामान्य सहायता अनुदान (10 करोड़ रुपए)।	(Rs. 0.75 crore) and (b) Grants-in-aid General to implementing agencies for the benefit of North Eastern States under the scheme 'National Mission on Micro-Irrigation' (Rs. 10 crore).	10.75	-	10.75
3 पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड योजना में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सामान्य सहायता अनुदान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on Grants-in-aid-General to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) in the scheme of Poultry Venture Capital Fund.	15.00	-	15.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा विभाग	4 Atomic Energy			
'अतिरिक्त प्रयुक्त ईंधन भंडारण सुविधा' की स्थापना के कारण व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on account of establishing 'Additional Spent Fuel Storage Facility'.	3.25	-	3.25
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7 उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
दुलाई सब्सिडी पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on Freight Subsidy.	-	840.00	840.00
8 भेषज विभाग	8 Department of Pharmaceuticals			
निम्नलिखित के लिए (क) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (10.06 करोड़ रुपए) और (ख) भेषज निर्यात संवर्धन योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (33.01 करोड़ रुपए) और पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (12 करोड़ रुपए)।	For (a) Grants for creation of capital assets to National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Rs. 10.06 crore) and (b) Grants-in-aid-General (Rs. 33.01 crore) and Grants for creation of capital assets (Rs. 12 crore) under Pharmaceutical Export Promotion Scheme.	55.07	-	55.07
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
निम्नलिखित की स्थापना संबंधी व्यय के संबंध में सहायता अनुदान हेतु (क) वायुपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण (1 करोड़ रुपए) और (ख) वायुपत्तन अपीलीय प्राधिकरण (0.25 करोड़ रुपए)।	For Grants-in-aid towards establishment related expenditure of (a) Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal (Rs. 1 crore) and (b) Airports Appellate Tribunal (Rs. 0.25 crore).	-	1.25	1.25
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
जोरहाट में टोकलई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन को चाय अनुसंधान संघ का विशेष शताब्दी अनुदान प्रदान करने हेतु।	For providing special centenary grant to Tocklai Experimental Station at Jorhat of the Tea Research Association.	15.00	-	15.00
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) 'राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा कार्यान्वित एक नई उप योजना 'इको प्रोडक्ट इंटरनेशनल फेयर, 2011' के व्यय की पूर्ति के लिए।	(a) For meeting expenditure for a new sub-scheme 'Eco Product International Fair, 2011' implemented by National Productivity Council (NPC).	7.75	-	7.75
(ख) एनपीसी की कर्मचारी भविष्य निधि की संवैधानिक देयता संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting expenditure on statutory liability for Employees Provident Fund of NPC.	-	5.99	5.99
(ग) जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड के विशेष श्रेणी राज्यों के पैकेज	(c) For reimbursement of pending subsidy claims as part of Package for Special			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के भाग के रूप में लम्बित सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति हेतु।	Category States for Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand.	23.54	-	23.54
(घ) 'मौजूदा योजना बौद्धिक सम्पदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण' के तहत उपयोजना 'विरोध संबंधी पिछले मामलों के परिसमापन और नए ट्रेडमार्क आवेदनों की जाँच' के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting expenditure towards a new sub-scheme 'Liquidation of backlog of opposition cases and examination of new Trade Mark applications' under the existing scheme 'Modernisation and Strengthening of Intellectual Property Office'.	7.41	-	7.41
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
'पोस्ट टेक 2010' सम्मेलन के आयोजन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on holding conference 'Post Tech, 2010'.	-	3.90	3.90
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
(क) माप-तौल अवसंरचना का सुदृढीकरण (4.62 करोड़ रुपए); उपभोक्ता संरक्षण संबंधी एकीकृत परियोजना (1.76 करोड़ रुपए) और वायदा बाजार आयोग का सुदृढीकरण (0.74 करोड़ रुपए) योजनाओं के तहत पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/ योजनाओं के तहत प्रावधानों के संवर्धन हेतु।	(a) For augmentation of provision under the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim towards providing additional grants for creation of capital assets under the schemes viz., Strengthening of Weights and Measures Infrastructure (Rs. 4.62 crore), Integrated project on Consumer Protection (Rs. 1.76 crore) and Strengthening of Forward Markets Commission (Rs. 0.74 crore).	7.12	-	7.12
(ख) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement of National system of standardisation.	0.10	-	0.10
(ग) उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु।	(c) For providing Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement of Projects under Consumer Welfare Fund.	-	1.00	1.00
(घ) वायदा बाजार आयोग की सुदृढीकरण योजना की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।	(d) For providing Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement of the scheme 'Strengthening of Forward Markets Commission'.	7.99	-	7.99
(झ) माप-तौल अवसंरचना का सुदृढीकरण (14.36 करोड़ रुपए), उपभोक्ता विवाद निपटान एजेन्सियों का सुदृढीकरण (12.54 करोड़ रुपए) और उपभोक्ता हेल्पलाइन (0.25 करोड़ रुपए) योजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।	(e) For providing Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement of the Schemes 'Strengthening of Weights & Measures Infrastructure' (Rs. 14.36 crore), 'Strengthening of Consumer Disputes Redressal Agencies' (Rs. 12.54 crore) and 'Consumer Helpline' (Rs. 0.25 crore).	27.15	-	27.15
(च) माप-तौल अवसंरचना का सुदृढीकरण (0.99 करोड़ रुपए) और उपभोक्ता हेल्पलाइन (0.12 करोड़ रुपए) योजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु।	(f) For providing Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement of the Schemes 'Strengthening of Weights & Measures Infrastructure' (Rs. 0.99 crore) and 'Consumer Helpline' (Rs. 0.12 crore).	1.11	-	1.11

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 संस्कृति मंत्रालय कला एवं संस्कृति संबंधी विभिन्न संस्थाओं योजनाओं को सहायता अनुदान हेतु।	19 Ministry of Culture For Grants-in-aid to various institutions and schemes relating to Art and Culture.	151.51	-	151.51
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय तटरक्षक संगठन के लिए लघुनिर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	20 Ministry of Defence For meeting additional expenditure under 'Minor Works' for Coast Guard Organisation.	-	62.00	62.00
27 रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय थल सेना और नौसेना के लिए प्रक्रियाधीन विकास के कारण होने वाले व्यय के लिए।	27 Capital Outlay on Defence Services For meeting expenditure on account of Development under Make Procedure for Army and Navy.	-	100.00	100.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
29 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (क) 'भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केन्द्र' योजना के तहत मॉडलिंग प्रयोगशाला और उच्च निष्पादन कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के भवन निर्माण के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के संबंध में।	29 Ministry of Earth Sciences (a) Towards Grants for creation of Capital Assets for construction of building of Modelling Laboratory & High Performance Computing System under the Scheme 'Indian National Centre for Ocean Information Services'.	5.00	-	5.00
(ख) भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे में 'पृथ्वी प्रणाली विज्ञान और संस्कृति' में उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid for implementation of an advanced training programme in 'Earth System Science and Culture' at Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.	4.00	-	4.00
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
30 पर्यावरण और वन मंत्रालय भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् को पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के संबंध में।	30 Ministry of Environment and Forests Towards Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Forestry Research and Education.	3.65	-	3.65
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32 आर्थिक कार्य विभाग (क) विश्व बैंक द्वारा संचालित साउथ-साउथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज ट्रस्ट फंड में अंशदान हेतु। (ख) निम्नलिखित के लिए (i) मुद्रा निदेशालय की स्थापना के लिए स्थापना संबंधी व्यय(1.95 करोड़ रुपए) और (ii) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति सम्मेलन का आयोजन (0.50 करोड़ रुपए)।	32 Department of Economic Affairs (a) For contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund administered by World Bank. (b) For (i) establishment related expenditure for setting up Directorate of Currency (Rs. 1.95 crore) and (ii) hosting an International Conference on Economic Policy (Rs. 0.50 crore).	-	2.40	2.40
34 विनियोग-व्याज अदायगियाँ सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के वजह से प्रीमियम के भुगतान के संबंध में आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु।	34 Appropriation-Interest Payments For meeting the incidental expenditure towards payment of premium arising out of buyback of Government securities.	-	100.00	100.00
35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के लिए।	35 Transfers to State and Union Territory Governments For National Disaster Response Fund.	-	3,560.00	3,560.00
41 राजस्व विभाग नशीली दवाओं पर के नियंत्रण हेतु कार्यकलाप करने के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान जारी करने हेतु।	41 Department of Revenue For releasing Grants-in-aid to Non- Governmental Organisations towards undertaking activities for Control of Drug Abuse.	-	5.00	5.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
(क) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के तहत विभिन्न संस्थानों/सोसाइटियों को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid-General to various Institutes/Societies under Medical and Public Health.	244.45	-	244.45
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी पूंजी परिव्यय हेतु।	(b) For Capital Outlay on Medical and Public Health.	37.01	-	37.01
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
49 भारी उद्योग विभाग	49 Department of Heavy Industry			
निम्नलिखित को (क) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (3.57 करोड़ रुपए) में इक्विटी निवेश और (ख) इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा में अतिरिक्त निवेश (5 करोड़ रुपए) की व्यवस्था करने हेतु।	For providing (a) equity investment in Rajasthan Electronics and Instruments Limited (Rs. 3.57 crore) and (b) additional investment in Instrumentation Limited, Kota (Rs. 5 crore).	8.57	-	8.57
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 गृह मंत्रालय	51 Ministry of Home Affairs			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालय सह रिहायशी आवास का निर्माण (7.29 करोड़ रुपए), (ii) आसूचना ब्यूरो की भवन निर्माण परियोजनाएँ (17.84 करोड़ रुपए) तथा (iii) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज के उन्नयन के तहत नई परियोजना (5.51 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) construction of office-cum-residential accommodation of Narcotics Control Bureau (Rs. 7.29 crore), (ii) construction projects of Intelligence Bureau (Rs. 17.84 crore) and (iii) new project under upgradation of National Fire Services College (Rs. 5.51 crore).	-	30.64	30.64
(ख) आसूचना ब्यूरो की तटवर्ती सुस्था के लिए 12 टन के नावों की खरीद हेतु।	(b) For procurement of 12 tonne boats for Coastal Security of Intelligence Bureau.	-	41.60	41.60
53 पुलिस	53 Police			
अपराध और आपराधिक नेटवर्क प्रणाली के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure under Crime and Criminal Network System.	175.06	-	175.06
54 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
(क) वामपंथी अतिवाद क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on Civic Action Programme in the Left Wing Extremist Areas.	-	15.00	15.00
(ख) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की व्यावसायिक सेवाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on Professional Services of National Disaster Response Force.	-	0.97	0.97
(ग) विज्ञापन एवं प्रचार संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on Advertisement and Publicity.	10.00	-	10.00
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
56 आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	56 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure under Capacity Building for Urban Development.	2.50	-	2.50
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
58 उच्च शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) तकनीकी शिक्षा के तहत विभिन्न संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए।	(a) For Grants for creation of capital assets to various institutions under Technical Education.	2070.08	-	2070.08

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए विभिन्न संस्थाओं/ योजनाओं को पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए।	(b) For Grants for creation of capital assets to various institutions/schemes for the benefit of North Eastern Region.	468.14	-	468.14
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
वृत्त चित्रों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान हेतु।	For grants-in-aid to the Non-Government Organisations for production of documentary films.	3.50	-	3.50
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
73 योजना मंत्रालय	73 Ministry of Planning			
अवसंरचना विकास वित्त निगम को सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid-General to Infrastructure Development Finance Corporation.	0.25	-	0.25
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	84 Department of Science and Technology			
इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलोजी सेंटर की स्थापना के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	For providing Grants-in-aid to set up a society 'Indo-German Science & Technology Centre'.	13.00	-	13.00
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
87 पोत परिवहन मंत्रालय	87 Ministry of Shipping			
कोचिन पत्तन न्यास में महत्वपूर्ण तलकर्षण परियोजना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on Capital Dredging Project at Cochin Port Trust.	80.52	-	80.52
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
88 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	88 Ministry of Social Justice and Empowerment			
(क) अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रवास(3 करोड़ रुपए) और अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए विश्वविद्यालयों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के लिए (3 करोड़ रुपए)।	(a) For Grants-in-aid to Universities/ Voluntary Organisations for construction of Hostels for Scheduled Castes Boys (Rs. 3 crore) and Hostel for Scheduled Castes Girls (Rs. 3 crore).	6.00	-	6.00
(ख) निम्नलिखित के लिए (i) भारतीय हस्ताक्षर संबंधी भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (1करोड़ रुपए), (ii) दीनदयाल अशक्त पुनर्वास योजना के तहत राष्ट्रीय अशक्त व्यक्ति संस्थान (15 करोड़ रुपए) और स्वैच्छिक संगठनों (0.15 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान।	(b) For (i) setting up of Indian Sign Language Research and Training Centre (Rs. 1 crore), (ii) Grants-in-aid to National Institute for Disabled Persons for construction of building (Rs. 15 crore) and to Voluntary Organisations under the Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme (Rs. 0.15 crore).	16.15	-	16.15
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
90 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	90 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
'क्षमता विकास' योजना के तहत व्यय के संवर्धन हेतु।	For augmentation of expenditure under the scheme 'Capacity Development'.	13.81	-	13.81

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
93 पर्यटक मंत्रालय	93 Ministry of Tourism			
राष्ट्रमंडल खेल, 2010, दिल्ली के लिए बजट आवास की अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुमोदित/ लाइसेंस- शुदा गेस्ट हाउसों के उन्नयन हेतु ब्याज सब्सिडी योजना के तहत निधियाँ प्रदान करने के लिए।	For providing funds under the scheme of interest subsidy for up-gradation of approved/licensed Guest Houses in National Capital Region of Delhi to meet additional demand of budget accommodation for the Commonwealth Games, 2010, Delhi.	1.00	-	1.00
जनजाति कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
94 जनजाति कार्य मंत्रालय	94 Ministry of Tribal Affairs			
(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के तहत निम्नलिखित को (i) पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (6.28 करोड़ रुपए) (ii) सामान्य सहायता अनुदान (0.04 करोड़ रुपए) और (iii) मॉनिटरिंग और मूल्यांकन योजना में अन्य प्रभार (1.20 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।	(a) For providing (i) Grants for creation of capital assets (Rs. 6.28 crore), (ii) Grants-in-aid-General (Rs. 0.04 crore) and (iii) other charges in the Scheme of Monitoring and Evaluation (Rs. 1.20 crore) for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.	7.52	-	7.52
(ख) निम्नलिखित को (i) पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (9.99 करोड़ रुपए) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु सामान्य सहायता अनुदान (0.03 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।	(b) For providing (i) Grants for creation of capital assets (Rs. 9.99 crore) and (ii) Grants-in-aid-General (Rs. 0.03 crore) for the benefit of North Eastern Region.	10.02	-	10.02
(ग) निम्नलिखित को (i) पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1274.95 करोड़ रुपए) और (ii) राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान (0.02 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।	(c) For providing (i) Grants for creation of capital assets (Rs.1,274.95 crore) and (ii) Grants-in-aid-General (Rs. 0.02 crore) to State Governments.	1,274.97	-	1,274.97
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित) गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS - UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
95 अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	95 Andaman and Nicobar Islands			
ऐसी सड़कें जिन्हें पंचायती राज संस्था को अंतरित किया गया है, की मरम्मत और रखरखाव संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure towards repair and maintenance of roads which has been transferred to Panchayati Raj Institution.	-	3.00	3.00
96 चंडीगढ़	96 Chandigarh			
सरकारी संग्रहालय और कला दीर्घा के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure of Government Museum and Art Gallery.	0.18	-	0.18
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
103 जल संसाधन मंत्रालय	103 Ministry of Water Resources			
(क) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के तहत अनियत मजदूरों की मजदूरी के भुगतान हेतु।	(a) For payment of wages of casual labourers as per VI CPC recommendations under Central Water Commission.	-	0.04	0.04
(ख) फरक्का बराज प्रोजेक्ट अस्पताल में दवाईयों, जीवन रक्षक दवाइयों की खरीद और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए।	(b) For purchase of medicine, life savings drugs and supply of oxygen in the Farakka Barrage Project Hospital.	-	0.02	0.02
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
104 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	104 Ministry of Women and Child Development			
(क) निम्नलिखित को पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए (i) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता और बाल विकास	(a) For Grants for creation of Capital Assets (i) to National Institute of Public Cooperation and Child Development			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संस्थान (3.50 करोड़ रुपए), (ii) कामकाजी महिला छात्रावास (10 करोड़ रुपए) और (iii) एकीकृत बाल संरक्षण योजना हेतु (1.34 करोड़ रुपए)।	(Rs. 3.50 crore), (ii) to Working Women's Hostel (Rs. 10 crore), and (iii) for Integrated Child Protection Scheme (Rs. 1.34 crore).	14.84	-	14.84
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए (i) एकीकृत बाल विकास योजना (100 करोड़ रुपए) और (ii) एकीकृत बाल संरक्षण योजना (4.72 करोड़ रुपए) के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए।	(b) For Grants for creation of Capital Assets (i) for Integrated Child Development Scheme (Rs. 100 crore) and (ii) for Integrated Child Protection Scheme (Rs. 4.72 crore) for the benefit of North Eastern Region.	104.72	-	104.72
6. तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल 161.81 करोड़ रुपए के छः अग्रिमों की मंजूरी दी गई थी। इसकी प्रतिपूर्ति अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात कर दी जाएगी।	6. Six advances aggregating Rs. 161.81 crore were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. This will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.39	0.19	0.58
कुल जोड़	GRAND TOTAL	25,981.20	42,313.10	68,294.30
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	25,012.91	29,575.72	54,588.63
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	967.90	12,737.19	13,705.09
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.39	0.19	0.58

विषय सूची CONTENTS

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE			
1. कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत 1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted 2212.01	...	2212.01	1
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत 2. Department of Agricultural Research and Education	Voted 1074.00	...	1074.00	2
3. पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत 3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted 0.01	...	0.01	3
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत 4. Atomic Energy	Voted ...	80.01	80.01	4
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत 6. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted 1248.00	...	1248.00	5
7. उर्वरक विभाग	स्वीकृत 7. Department of Fertilisers	Voted 0.01	...	0.01	6
8. भेषज विभाग	स्वीकृत 8. Department of Pharmaceuticals	Voted 0.01	...	0.01	7
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत 9. Ministry of Civil Aviation	Voted 19.01	...	19.01	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत 11. Department of Commerce	Voted 658.51	...	658.51	9
12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	भारित स्वीकृत 12. Department of Industrial Policy and Promotion	Charged 0.02 Voted 0.04	...	0.02 0.04	10-11
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13. डाक विभाग	भारित स्वीकृत 13. Department of Posts	Charged 0.46 Voted 0.01	0.08 145.00	0.54 145.01	12
14. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत 14. Department of Telecommunications	Voted 30.56	...	30.56	13
15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत 15. Department of Information Technology	Voted 1012.00	...	1012.00	14
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत 16. Department of Consumer Affairs	Voted 0.06	...	0.06	15-16
17. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	भारित स्वीकृत 17. Department of Food and Public Distribution	Charged 0.01 Voted 800.00	...	0.01 800.00	17
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
18. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत 18. Ministry of Corporate Affairs	Voted ...	49.36	49.36	18
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत 19. Ministry of Culture	Voted 83.21	...	83.21	19-22

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
20. रक्षा मंत्रालय	भारित	20. Ministry of Defence	Charged	...	0.05	0.05	23
	स्वीकृत		Voted	40.01	...	40.01	
22. रक्षा सेवा-थल सेना	स्वीकृत	22. Defence Services - Army	Voted	1500.00	...	1500.00	24
23. रक्षा सेवा-नौसेना	भारित	23. Defence Services - Navy	Charged	3.20	...	3.20	25
25. रक्षा आयुध कारखाने	भारित	25. Defence Ordnance Factories	Charged	1.15	...	1.15	26
27. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	27. Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	20.25	20.25	27
	स्वीकृत		Voted	...	813.01	813.01	
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.02	...	0.02	28
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of Environment and Forests	Voted	0.01	...	0.01	29
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
31. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	31. Ministry of External Affairs	Voted	6.00	...	6.00	30
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
32. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	32. Department of Economic Affairs	Voted	24.52	11327.15	11351.67	31-32
33. वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	33. Department of Financial Services	Voted	110.00	2320.12	2430.12	33
34. ब्याज अदायगियां	भारित	34. Appropriation - Interest Payments	Charged	0.01	...	0.01	34
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	भारित	35. Transfers to State and Union Territory Governments	Charged	...	2000.00	2000.00	35
	स्वीकृत		Voted	4379.01	...	4379.01	
37. ऋण की वापसी अदायगी	भारित	37. Appropriation - Repayment of Debt	Charged	...	3894.59	3894.59	36
41. राजस्व विभाग	स्वीकृत	41. Department of Revenue	Voted	1000.01	27.00	1027.01	37
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	100.01	0.01	100.02	38-39
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
49. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	49. Department of Heavy Industry	Voted	12.27	103.99	116.26	40
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
51. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	51. Ministry of Home Affairs	Voted	1027.26	0.02	1027.28	41-42
52. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	52. Cabinet	Voted	20.00	17.00	37.00	43
53. पुलिस	भारित	53. Police	Charged	0.06	...	0.06	44-45
	स्वीकृत		Voted	1741.48	604.00	2345.48	
54. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	54. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	0.03	36.73	36.76	46
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
56. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत	56. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.01	...	0.01	47
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	4000.00	...	4000.00	48-49
58. उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	2093.27	...	2093.27	50-52

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	...	0.01	53
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	186.00	...	186.00	54
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
62. विधि और न्याय	62. Law and Justice	Voted	268.52	...	268.52	55
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES					
65. खान मंत्रालय	65. Ministry of Mines	Charged	0.14	...	0.14	56
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
71. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	71. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Charged	4.00	...	4.00	57
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	14000.00	...	14000.00	58
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING					
73. योजना मंत्रालय	73. Ministry of Planning	Voted	0.01	...	0.01	59
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER					
74. विद्युत मंत्रालय	74. Ministry of Power	Voted	24.45	710.65	735.10	60
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
81. ग्रामीण विकास विभाग	81. Department of Rural Development	Voted	7337.50	...	7337.50	61
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	84. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	62
नौवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING					
87. नौवहन मंत्रालय	87. Ministry of Shipping	Voted	...	0.01	0.01	63
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
88. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	88. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted	0.02	...	0.02	64
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
90. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	90. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01	65

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
92. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Textiles	Voted	500.00	12.50	512.50	66
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
93. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	67
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
94. जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित	94. Ministry of Tribal Affairs	Charged	0.01	...	0.01	68-69
	स्वीकृत		Voted	0.02	...	0.02	
गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		MINISTRY OF HOME AFFAIRS - UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
95. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	95. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.01	...	0.01	70
96. चंडीगढ़	स्वीकृत	96. Chandigarh	Voted	...	0.01	0.01	71
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
100. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	100. Department of Urban Development	Voted	...	300.00	300.00	72
101. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	101. Public Works	Voted	0.37	69.50	69.87	73
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
103. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	103. Ministry of Water Resources	Voted	30.02	...	30.02	74
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
104. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	...	0.02	75
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
105. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	105. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	22.45	193.42	215.87	76
कुल जोड़		GRAND TOTAL		45569.84	22724.46	68294.30	
		भारित	Charged	9.06	5914.97	5924.03	
		स्वीकृत	Voted	45560.78	16809.49	62370.27	
अनुबंध		ANNEXURE					77-80

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिए)।

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted:	15564.12	83.85	15647.97
	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Voted:	2212.01	...	2212.01
	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	17776.13	83.85	17859.98

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	2212.00 (का)	...	2212.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		2212.01	...	2212.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) (i) 'वैश्विक कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन' के तहत राष्ट्रीय प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ब्यूरो को सामान्य सहायता अनुदान (0.11 करोड़ रुपए)।
- (ii) 'बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीच अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण' योजना के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (32.00 करोड़ रुपए)।
- (iii) दावों के संवितरण हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के कार्यान्वयन के लिए साधारण बीमा कम्पनी (जीआईसी)/कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) को भुगतान (2212.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में 32.11 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः 2212.00 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (ख) (i) 'बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीच अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण' योजना के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.75 करोड़ रुपए)।
- (ii) 'राष्ट्रीय सूक्ष्म-सिंचाई मिशन' योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सामान्य सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid General to National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR) under 'Implementation of Global Plan of Action' (Rs.0.11 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds' (Rs.32.00 crore).
- (iii) Payment to General Insurance Company (GIC)/ Agricultural Insurance Company (AIC) for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) for disbursement of claims (Rs.2212.00 crore).

As savings of Rs.32.11 crore are available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo Rs.2212.00 crore.

- (b) (i) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds' (Rs.0.75 crore).
- (ii) Grants-in-aid General to implementing agencies for benefit of North Eastern States, under the scheme 'National Mission on Micro-Irrigation' (Rs.10.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिए)।

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 3825.55	...	3825.55
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1074.00	...	1074.00
	स्वीकृत	Voted: 4899.55	...	4899.55

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत 2415- Agricultural Research and Education	Voted: ...	1074.00	1074.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन और उसके बकाया के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की कृषि शिक्षा तहत विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन, पेंशन आदि के संशोधन के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करने के लिए है। (1074.00 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required as Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) due to revision of salaries, pension, etc., of university teachers of State Agricultural Universities (SAUs) for implementation of the Sixth Central Pay Commission and arrears thereof under Agricultural Education (Rs.1074.00 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशुपालन, डेयरी कार्य एवं मात्स्यिकी विभाग
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)।

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 1749.60	11.50	1761.10
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 0.01	...	0.01
	स्वीकृत		Voted: 1749.61	11.50	1761.11

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2403-पशु पालन	स्वीकृत	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड (15.00 करोड़ रुपए) की योजना में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सामान्य सहायता अनुदान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting expenditure on Grants-in-aid General to National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) in the scheme of Poultry Venture Capital Fund (Rs.15.00 crore). As Savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.4

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिए)।

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित स्वीकृत	Charged: Voted:	1.00 4852.22	1.00 2928.02	2.00 7780.24
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	...	80.01	80.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	भारित स्वीकृत	Charged: Voted:	1.00 4852.22	1.00 3008.03	2.00 7862.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4861-Capital outlay on Atomic Energy Industries	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5401-Capital outlay on Atomic Energy Research	Voted: 80.00 (खब)	...	80.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted 80.01	...	80.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

Supplementary grant is sought for:

(क) "अतिरिक्त व्यय किए गए ईंधन भंडारण सुविधा" की स्थापना के कारण व्यय की पूर्ति हेतु (3.25 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(a) meeting expenditure on account of establishing "Additional Spent Fuel Storage Facility" (Rs.3.25 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) हरियाणा में "नाभिकीय ऊर्जा भागीदारी का वैश्विक केन्द्र" के चरण-I की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण, वार्षिकी प्रभार और संबद्ध आधारभूत ढांचा संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (80.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) meeting expenditure on account of acquisition of land, annuity charges and related infrastructure for establishing phase-I of "Global Centre for Nuclear Energy Partnership" in Haryana (Rs.80.00 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.6

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)।

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 393.31	26.69	420.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1248.00	...	1248.00	
	स्वीकृत	Voted: 1641.31	26.69	1668.00	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries				
	स्वीकृत	Voted: 579.00 (क)	669.00 (ख)	1248.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

The supplementary grant is required for the following purposes:-

(क) असम गैस परियोजना (579 करोड़ रुपए) के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान करने और केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) [69.94 करोड़ रुपए], कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) [3.10 करोड़ रुपए] योजनाएं, और पेट्रो रसायन की नई योजनाओं (79.00 करोड़ रुपए) के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने हेतु। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 152.04 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 579 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(a) To provide capital subsidy for Assam Gas Project (Rs.579 crore) and for releasing of Grants for creation of capital assets under the Scheme of Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET) [Rs.69.94 crore], Institute of Pesticides Formulation Technology (IPFT) [Rs.3.10 crore], and New Schemes of Petrochemicals (Rs.79.00 crore). Taking into account the savings of Rs.152.04 crore available within the same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs.579 crore.

(ख) भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों को अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) To provide ex-gratia to victims of Bhopal Gas Leak Disaster. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:					
	स्वीकृत	Voted:	52865.46	209.54	53075.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Voted:	52865.47	209.54	53075.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2852-उद्योग	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान दुलाई सब्सिडी पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु माँगा गया है (840.00 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on Freight subsidy (Rs.840.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.8

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted:	157.95	40.05	198.00
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	157.96	40.05	198.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852- Industries	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:-

- (i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के लिए (10.06 करोड़ रुपए)।
- (ii) भेषज निर्यात संवर्धन योजना (पीईपीएस) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (33.01 करोड़ रुपए) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (12 करोड़ रुपए) जारी करने हेतु।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The Supplementary is required for the following purposes:-

- (i) For releasing Grants for creation of capital assets to National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) (Rs.10.06 crore).
- (ii) For releasing Grants-in-aid General (Rs.33.01 crore) and Grants for creation of capital assets (Rs.12 crore) under Pharmaceutical Export Promotion Scheme (PEPS).

As savings are available within the same Section of the Grant, token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.9

नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted: 1456.34	1428.70	2885.04	
		Supplementary Estimate of the amount now required:			
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Voted: 19.01	...	19.01	
	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)		Voted: 1475.35 1428.70 2904.05	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat-Economic Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted: 19.00 (खb)	...	19.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		19.00 0.01 19.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

The supplementary grant is required for following purposes: -

(क) (i) वायुपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण (एईआरएटी) की स्थापना संबंधी व्यय के लिए सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)।

(a) (i) Grants-in-aid towards establishment related expenditure of Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal (AERAAT) (Rs.1.00 crore).

(ii) वायुपत्तन अपीलीय अधिकरण (एएटी) की स्थापना संबंधी व्यय के लिए सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए)।

(ii) Grants-in-aid towards establishment related expenditure of Airports Appellate Tribunal (AAT) (Rs.0.25 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available in the same Section of the Grant, token supplementary is sought.

(ख) पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. (पीएचएलएल) को रोहिणी, दिल्ली में हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु भू-लागत संबंधी पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान। इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी।

(b) Grants for creation of capital asset towards land cost to Pawan Hans Helicopter Ltd. (PHHL) for construction of Heliport at Rohini, Delhi. This supplementary does not entail any cash outgo as equivalent amount will be surrendered from the Capital Section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO.11

वाणिज्य मंत्रालय
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)।

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	1.00	...
	स्वीकृत	Voted:	3300.56	682.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	658.51	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3960.07	682.99	4643.03
	भारित	Charged:	1.00	...
	स्वीकृत	Voted:	3959.07	682.99

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
2057-आपूर्ति एवं निपटान	स्वीकृत	2057-Supplies and Disposals	Voted:	...
2407-रोपण	स्वीकृत	2407-Plantations	Voted:	0.01 (खb)
3453-विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	स्वीकृत	3453-Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01
				658.50
				658.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

(क) सेवा कर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा यथा निर्देशित आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा सेवा कर के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) चाय अनुसंधान संघ, जोरहाट के टोकलाई प्रयोगशाला केन्द्र को विशेष शताब्दी अनुदान प्रदान करने हेतु (15.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) लघु कॉफी उत्पादकों को कॉफी ऋण राहत पैकेज-2009 के कारण कॉफी बोर्ड को भुगतान हेतु जो राहत के लिए सरकार के 50 प्रतिशत भाग के कारण है। इसमें नकद व्यय होगा।

(घ) चर्म तथा चर्म विनिर्माण, जूट विनिर्माण, इन्जीनियरिंगसामान तथा कपड़ा के सम्बन्ध में कपड़ा निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought:

(a) For meeting the expenditure on payment of Service Tax by the Directorate General of Supplies and Disposals as directed by Commissioner of Service Tax, Central Board of Excise and Customs. This will entail cash outgo.

(b) For providing special centenary grant to the Tocklai Experimental Station at Jorhat (Rs.15.00 crore) of the Tea Research Association. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) For payment to Coffee Board on account of Coffee Debt Relief Package-2009 to small coffee growers being 50% share of Government for the relief. This will entail cash outgo.

(d) For providing Interest Subvention of 2% Rupee Export credit in respect of Leather & Leather Manufacturers, Jute Manufacturers, Engineering Goods and Textiles. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 12

औद्योगिक तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)।

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1198.91	10.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.02	...
	स्वीकृत	Voted:	0.04	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1198.97	10.00	1208.97
	भारित	Charged:	0.02	...
	स्वीकृत	Voted:	1198.95	10.00

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852- Industries	Voted:	0.01 (का)
2885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	भारित	2885- Other Outlays on Industries and Minerals	Charged:	0.02 (ग)
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (घ)
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475- Other General Economic Services	Voted:	0.01 (ङ)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.05	0.01	0.06
	भारित	Charged:	0.02	...
	स्वीकृत	Voted:	0.03	0.01

पूरक अनुदानों/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा कार्यान्वित एक नई आयोजना उप-योजना "इको प्रोडक्ट इंटरनेशनल फेयर 2011" के लिए 7.75 करोड़ रुपए के व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है;

(ख) वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी सांविधिक देयता पर व्यय की पूर्ति के संबंध में भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त 5.99 करोड़ रुपए से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है;

(ग) निवेश सब्सिडी योजना के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार तमिलनाडु स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड, चैन्नई को सब्सिडी के भुगतान के रूप में 0.02 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा;

(घ) जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु पैकेज के भाग के रूप में लम्बित सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति

The supplementary grants/appropriation are sought for following purposes:

(a) Towards meeting expenditure of Rs. 7.75 crore for a new Plan sub-scheme 'Eco Product International Fair 2011' implemented by National Productivity Council. As savings are available within the Revenue section of the Grant, a token supplementary is sought;

(b) For recouping an advance of Rs. 5.99 crore obtained from the Contingency Fund of India towards meeting expenditure on the statutory liability for Employees Provident Fund of National Productivity Council for the year 2008-2009 and 2009-2010. As savings are available within the Revenue section of the Grant, a token supplementary is sought;

(c) For rembursement of Rs. 0.02 crore as subsidy payment to Tamil Nadu Small Industries Development Cooperation Limited, Chennai as per the award given by Supreme Court under Investment Subsidy Scheme. This will entail cash outgo;

(d) Towards meeting additional expenditure of Rs. 23.54 crore as reimbursement of pending subsidy claims as part of Package

के रूप में 23.54 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

for Special Category States for Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. As savings are available within the Revenue section of the Grant, a token supplementary is sought;

(ड.) 'बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण' की मौजूदा योजना के तहत एक नई आयोजना उप-योजना 'विपक्षी का बकाया मामलों का समापन और नए ट्रेड मार्क आवेदन की जांच' के लिए 7.41 करोड़ रुपए के व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(e) Towards meeting expenditure of Rs. 7.41 crore for a new Plan sub-scheme 'Liquidation of backlog of opposition cases and examination of new Trade Mark application' under the existing scheme 'Modernisation and Strengthening of Intellectual Property Office'. As savings are available within the Revenue section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.13

डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)।

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.10	...
	स्वीकृत	Voted:	11328.68	329.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			11658.23
	भारित	Charged:	0.46	0.08
	स्वीकृत	Voted:	0.01	145.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11329.25	474.63	11803.88
	भारित	Charged:	0.56	0.08
	स्वीकृत	Voted:	11328.69	474.55

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services			
	भारित	Charged:	...	0.46 (का)
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (खब)
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services			
	भारित	Charged:	0.08 (ग)	...
	स्वीकृत	Voted:	145.00 (घ)	...
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	145.08	0.47	145.55
	भारित	Charged:	0.08	0.46
	स्वीकृत	Voted:	145.00	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है :

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) मद्रास उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए फैसले के फलस्वरूप किराया, वेतन तथा मजदूरी की 0.46 करोड़ रुपए बकाया राशि के भुगतान के संबंध में। इसमें नकद व्यय होगा;
- (ख) 'पोस्ट टेक 2010' सम्मेलन के आयोजन पर 3.90 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचत उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है;
- (ग) केरल में डाक घर के लिए भूमि अधिग्रहण में क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी 0.08 करोड़ रुपए के व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा;
- (घ) 'प्रोजेक्ट एरो' के कार्यान्वयन के लिए 24 करोड़ रुपए और 'डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग' योजना के तहत 121 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (a) Towards making payment of arrears of rent and salary and wages amounting to Rs.0.46 crore arising out of awards given by High Court of Madras and Central Administrative Tribunal, Chandigarh. This will entail cash outgo;
- (b) For meeting the additional expenditure of Rs.3.90 crore on holding conference 'Post Tech 2010'. As saving is available within Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought;
- (c) Towards meeting expenditure of Rs.0.08 crore on payment of compensation in land acquisition for Post Office in Kerala. This will entail cash outgo;
- (d) Towards meeting additional expenditure of Rs.24 crore for implementation of 'Project Arrow' and Rs.121 crore under scheme 'Computerization & Networking of Post Offices'. As the equivalent savings are available in the Revenue section of the Grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 14

दूरसंचार विभाग
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिए)।
(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:					
	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	7925.92	1684.95	9610.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	30.56	...	30.56
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7956.48	1684.95	9641.43
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	7956.48	1684.95	9641.43

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services				
	स्वीकृत	Voted:	...	30.56	30.56

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम के नीलामकर्त्ताओं को 30.56 करोड़ रुपए के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक है। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में समतुल्य बचत उपलब्ध है, जिसका अभ्यर्पण किया जाएगा, इसलिए 30.56 करोड़ रुपए का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for recouping an advance obtained from the Contingency Fund of India for meeting expenditure towards payment of Rs.30.56 crore to the Auctioneers of 3G and Broadband Wireless Access (BWA) spectrum. As equivalent saving is available in the capital section of the Grant, which will be surrendered, technical supplementary for Rs.30.56 is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.15

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)।

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 2546.00	161.00	2707.00
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1012.00	...	1012.00
	स्वीकृत		Voted: 3558.00	161.00	3719.00

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted: 101.20 (क)	...	101.20
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted: 910.80 (ख)	...	910.80
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: 1012.00	...	1012.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है :

The supplementary grant is required:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु चालू राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(a) For meeting additional expenditure to support implementation of ongoing National Knowledge Network (NKN) programme for the benefit of North Eastern Region. This will entail cash outgo.

(ख) एनकेएन कार्यक्रम के वचनबद्ध व्यय सहित इसके कार्यान्वयन की सहायता के लिए व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) For meeting expenditure to support implementation of NKN programme including its committed expenditure. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.16

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)।

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	स्वीकृत	Voted:	457.66	31.34	489.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	0.06	...	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	457.72	31.34	489.06

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION			
		MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
3456-नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत	3456-Civil Supplies	Voted: ...	0.01 (गक)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475-Other General Economic Services	Voted: 0.01 (घद)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (जे)	...	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (झफ)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted: 0.05	0.01	0.06

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित के लिए है :-

The supplementary grant is sought for :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम को योजनाओं अर्थात् माप और तोल ढांचागत क्षेत्र की मजबूती (4.62 करोड़ रुपए), उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी एकीकृत परियोजना (1.76 करोड़ रुपए) और वायदा बाजार आयोग की मजबूती (0.74 करोड़ रुपए) के तहत पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदानों को उपलब्ध कराने हेतु उसके लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधान में बढ़ोतरी करना। | (a) augmentation of provision under the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim towards providing additional grants for creation of capital assets under the schemes viz. Strengthening of Weights & Measures Infrastructure (Rs.4.62 crore), Integrated project on Consumer Protection (Rs.1.76 crore) and Strengthening of Forward Markets Commission (Rs.0.74 crore). |
| (ख) राष्ट्रीय मानकीकरण व्यवस्था की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान उपलब्ध कराना (0.10 करोड़ रुपए)। | (b) providing grants for creation of capital assets (Rs.0.10 crore) for meeting the additional requirements of National system of standardization. |
| (ग) उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान उपलब्ध कराना (1 करोड़ रुपए)। | (c) providing grants for creation of capital assets (Rs.1 crore) for meeting the additional requirements of Projects under Consumer Welfare Fund. |
| (घ) वायदा बाजार आयोग की मजबूती सम्बन्धी योजना की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजी परिसम्पत्तियों का सृजन करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराना (7.99 करोड़ रुपए)। | (d) providing grants for creation of capital assets (Rs.7.99 crore) for meeting the additional requirements of the scheme Strengthening of Forward Markets Commission. |
| (ङ) योजनाओं अर्थात् माप और तोल ढांचागत सुविधा की मजबूती (14.36 करोड़ रुपए), उपभोक्ता विवाद निपटान एजेसियों की मजबूती (12.54 करोड़ रुपए), तथा उपभोक्ता हैल्पलाइन (0.25 करोड़ रुपए) की | (e) providing grants for creation of capital assets (Rs.27.15 crore) for meeting the additional requirements of the scheme viz. Strengthening of Weights & Measures Infrastructure |

- अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान उपलब्ध कराना (27.15 करोड़ रुपए)।
- (च) योजनाओं अर्थात् माप और तोल ढांचागत सुविधा (0.99 करोड़ रुपए), और उपभोक्ता हैल्पलाइन (0.12 करोड़ रुपए) की मजबूती हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान उपलब्ध कराना। (1.11 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगे गए हैं।
- (Rs.14.36 crore), Strengthening of Consumer Disputes Redressal Agencies (Rs.12.54 crore) and Consumer Helpline (Rs.0.25 crore).
- (f) providing grants for creation of capital assets (Rs.1.11 crore) for meeting the additional requirements of the scheme viz. Strengthening of Weights & Measures Infrastructure (Rs.0.99 crore) and Consumer Helpline (Rs.0.12 crore).
- As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO.17

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)।

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.07	...	1.07
	स्वीकृत	Voted:	56650.68	10973.06	67623.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	800.00	...	800.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		57451.76	10973.06	68424.82
	भारित	Charged:	1.08	...	1.08
	स्वीकृत	Voted:	57450.68	10973.06	68423.74

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार	2408- Food, Storage and Warehousing	Voted:	...	800.00 (क)	800.00
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451- Secretariat- Economic Services	Charged:	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		...	800.01	800.01
	भारित	Charged:	...	0.01	0.01
	स्वीकृत	Voted:	...	800.00	800.00

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ हैं:

- (क) चीनी विकास निधि अन्तरलेखा अन्तरण को हस्तान्तरण। इसमें नकद व्यय होगा (800.00 करोड़ रुपए)।
- (ख) उच्चतम न्यायालय के आदेश के सन्दर्भ में व्यय की पूर्ति हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति निधि में पूरक विनियोग पारित होने के बाद कर दी जाएगी। इसमें सत्तर हजार रुपयों का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

- (a) Transfer to Sugar Development Fund Inter Accounts Transfer. This will entail cash outgo (Rs.800.00 crore).
- (b) For meeting expenses in terms of Supreme Court order, an advance was sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose and shall be recouped to the Fund after the supplementary appropriation is passed. This will entail cash outgo of rupees seventy thousand.

मांग संख्या DEMAND NO.18

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:				
	स्वीकृत	Voted:		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		203.01	46.00	249.01
	स्वीकृत	Voted:		
जोड़ (मूल और पूरक)		...	49.36	49.36
		Total (Original plus Supplementary)	203.01	95.36
			298.37	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग				
मुख्य शीर्ष				
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Voted:		
7475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	स्वीकृत	Voted:		
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Voted:		
		47.36 (का)	...	47.36
		...	2.00 (खब)	2.00
		47.36	2.00	49.36

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है:

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure for the following purposes:

(क) परियोजना और प्रचालन लागत तथा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) संबंधी वचनबद्ध व्यय के भुगतान हेतु (47.36 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(a) For payment of project and operational cost and committed expenditure in respect of Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) (Rs.47.36 crore). This will entail cash outgo.

(ख) मंत्रालय के ई-गवर्नेंस पहल कार्यों की देख-रेख हेतु विशेष प्रयोजन साधन के परिचालन हेतु ब्याज सहित वापसी अदायगी योग्य ऋण के भुगतान के लिए (2.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(b) For payment of loan repayable with interest for operationalisation of Special Purpose Vehicle (SPV) to deal with e-Governance initiatives of the Ministry (Rs.2.00 crore). As equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.19

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	स्वीकृत	Voted:	1195.00	43.00	1238.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	स्वीकृत	Voted:	83.21	...	83.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1278.21	43.00	1321.21

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2205-कला और संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture	Voted:	0.01 (का)	83.20 (खब)	83.21
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	83.20	83.21

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

- (क) (1) संगीत नाटक अकादमी को निम्नलिखित प्रयोजनार्थ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु :
- (i) रविन्द्र रंगशाला के उन्नयन तथा चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में सांस्कृतिक परिसर के निर्माण हेतु पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (5.00 करोड़ रुपए);
- (ii) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के सम्बन्ध में उत्सव, प्रदर्शनियां तथा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन, रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वीं जन्म शताब्दी समारोह और मानवता की अमूर्त अनमोल विरासत - कुट्टियात्तम, रामलीला तथा वैदिक मंत्रों के प्रोत्साहन तथा अनुसंधान के कार्य में लगी संस्थाओं को सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (11.00 करोड़ रुपए)।
- (2) साहित्य अकादमी को सामान्य सहायता अनुदान - राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी तथा साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन, और रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वीं जन्म शताब्दी समारोह सहित विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु (2.80 करोड़ रुपए)।
- (3) ललित कला अकादमी को सामान्य सहायता अनुदान - रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वीं जन्म शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में प्रकाशन तथा विशेष प्रदर्शनियां, ललित कला अकादमी दीर्घाओं में प्रदर्शनियों का आयोजन, राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के सम्बन्ध में रविन्द्र भवन के बाहर आस-पास के इलाके में चल रहा सुधार कार्य तथा कला दीर्घा, शिमला का अनुसंधान तथा कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (2.14 करोड़ रुपए)।

The supplementary grants are sought for the following:

- (a) (1) Sangeet Natak Akademi - to meet additional expenditure for the following purposes:
- (i) Grants for creation of capital assets - for upgradation of Rabindra Rangashala and construction of Cultural Complex at Chanakyapuri, New Delhi (Rs.5.00 crore);
- (ii) Grants in aid General - for organizing festivals, exhibitions and special programmes in connection with the Commonwealth Games, 2010, Celebration of 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore and assistance to the institutions engaged in the work of promotion & preservation of masterpieces of Intangible Heritage of Humanity-Kuttiyattam, Ramlila & Vedic chant (Rs.11.00 Crore).
- (2) Grant-in-aid-General to Sahitya Akademi -for organizing Book Exhibition and Literacy programs during the Commonwealth Games, 2010 and for organising various other programmes including Celebration of 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore (Rs.2.80 crore).
- (3) Grant-in-aid-General to Lalit Kala Akademy - to meet the additional expenditure towards Publications and Special exhibitions in connection with the Celebration of 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore, organizing exhibitions at Lalit Kala Akademy (LKA) Galleries, ongoing work of renovation of outer ambience of Rabindra Bhavan in connection with Commonwealth

- (4) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को सामान्य सहायता अनुदान - राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के सम्बन्ध में विशेष निर्माण कार्य, प्रदर्शनियां तथा कार्यक्रमों का आयोजन, हिन्दी मोबाइल थियेटर तथा रिपटरी का विकास तथा प्रचालन एवं थियेटर डाक्यूमेंटेशन सेंटर तथा अभिलेखागार का निर्माण (3.55 करोड़ रुपए)।
- (5) निम्नलिखित प्रयोजनार्थ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र को अनुदान :
- (i) 'सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना' के तहत छात्रवृत्ति पाने वालों का शिक्षण शुल्क का भुगतान, मानदेय में बढ़ोतरी, स्कालर्स, विशेषज्ञों आदि बैठक शुल्क तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण कर्मचारियों के वेतन संघटक में वृद्धि के संदर्भ में सामान्य सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय केन्द्र हेतु पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन तथा राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के दौरान किए जाने वाले कार्यों हेतु अनुदान (3.00 करोड़ रुपए)।
- (6) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के सम्बन्ध में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों के आयोजन हेतु क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को सामान्य सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)।
- (7) रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्म शताब्दी और स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जन्म शताब्दी के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु शताब्दी तथा वर्षगांठ समारोहों की योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (35.00 करोड़ रुपए)।
- (8) सांस्कृतिक संगठन विकास योजना (जिसे अब 'सांस्कृतिक समारोह अनुदान योजना' के रूप में नया नाम दिया गया है) के लिए सामान्य सहायता अनुदान - प्रति संगठन हेतु अनुदान में 1.00 लाख रुपए से बढ़ोतरी होकर 5.00 लाख रुपए होने तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्म शताब्दी समारोह हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (7.00 करोड़ रुपए)।
- (9) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में मौजूदा 18 परियोजनाओं के लिए दूसरी किश्तों को जारी करने हेतु बहु-उद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर जो बच्चों के लिए भी है, की स्थापना हेतु स्कीम को पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)।
- (10) कूथाम्बलम ऑफ थियोसोफिकल स्कूल के उन्नयन हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु कला क्षेत्र, चेन्नई को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान और कम्प्यूटरीकरण का चालू कार्य आदि (2.50 करोड़ रुपए)।
- (11) (i) लाल बहादुर शास्त्री के जन्म शताब्दी समारोह के भाग के रूप में मंडा गांव, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.) में पोलिटेक्निक संस्थान; और (ii) सोलसिंदा गांव जिला इंदौर (म.प्र.) में महिला पोलिटेक्निक संस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान (6.00 करोड़ रुपए)।
- Games, 2010 and for maintenance and programmes of Art Gallery, Shimla (Rs.2.14 crore).
- (4) Grant-in-aid-General to National School of Drama - to organize Special Works, Exhibitions and Programmes in connection with the Commonwealth Games, 2010, to develop and operationalize Hindi Mobile Theatre-cum-Repertory and for creation of Theatre Documentation Centre and Archive (Rs.3.55 crore).
- (5) Grants to Centre for Cultural Resources and Training to meet the additional expenditure for the following purposes:
- (i) Grant-in-aid-General towards payment of tuition fee of the scholarship holder under the 'Cultural Talent Search Scholarship Scheme', increase in honorarium, sitting fee to scholars, experts etc. and increase in the salary component of the employees on account of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations (Rs.2.00 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets for the Regional Centre at Hyderabad and for activities to be undertaken during the Commonwealth Games, 2010 (Rs.3.00 crore).
- (6) Grants-in-aid-General to Zonal Cultural Centres for holding different cultural events/programmes in connection with Commonwealth Games, 2010 (Rs.2.00 crore).
- (7) Grants-in-aid-General for the scheme Centenaries and Anniversaries Celebrations to meet the additional expenditure on various programmes/activities in respect of Celebration of 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore and 150th Birth Anniversary of Swami Vivekanand (Rs.35.00 crore).
- (8) Grants-in-aid-General for the scheme Development of Cultural Organizations (renamed as 'Cultural Functions Grant Scheme') - to meet the additional expenditure on account of the increase in grant per organisation from Rs.1.00 lakh to Rs.5.00 lakh and for Celebration of 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore (Rs.7.00 crore).
- (9) Grants for creation of capital assets for the scheme setting up of Multipurpose Cultural Complexes including those for children for releasing the 2nd installment during the current year for 18 ongoing projects in different States (Rs.2.00 crore).
- (10) Grants for creation of capital assets to Kalakshetra, Chennai to meet the additional expenditure for upgradation of the koothambalam of Theosophical School and ongoing work relating to Computerization etc. (Rs.2.50 crore).
- (11) Grants for creation of capital assets relating to construction of (i) Polytechnic Institute in Manda Village, Distt. Allahabad (UP); and (ii) Women's Polytechnic Institute in Solsinda Village, Distt. Indore (MP) as part of Celebration of Birth Centenary of Lal Bahadur Shastri (Rs.6.00 crore).

- (12) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के 150वीं शताब्दी समारोह योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (20.00 करोड़ रुपए)।
- (13) दांडी में आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण, प्रदर्शनी केन्द्र तथा कान्फ्रेंस हॉल के निर्माण हेतु 'राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन की स्थापना' योजना के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन; साबरमती आश्रम में गांधी विरासत पोर्टल की स्थापना; 'गांधी विरासत स्थल - व्यापक सूची' के प्रकाशन का मुद्रण तथा सैफी बिला का उन्चन हेतु अनुदान (14.75 करोड़ रुपए)।
- (14) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को सामान्य सहायता अनुदान एस.पी.मुखर्जी मार्ग में डीपीएल सेन्ट्रल लाइब्रेरी भवन में मरम्मत तथा सुधार कार्य, फर्नीचर की खरीद तथा दिल्ली में राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के सम्बन्ध में प्रदर्शनियों का आयोजन हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (0.67 करोड़ रुपए)।
- (15) राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता को सामान्य सहायता अनुदान - लाइब्रेरी आन्दोलन का विकास के भाग के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को वर्धित समतुल्य भाग के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (5.00 करोड़ रुपए)।
- (16) राष्ट्रीय हस्तलिपि मिशन को सामान्य सहायता अनुदान - चालू वित्त वर्ष के दौरान मिशन द्वारा अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही चालू गतिविधियों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (3.95 करोड़ रुपए)।
- (17) नेहरु मेमोरियल म्यूजिम तथा लाइब्रेरी को बाहर से तीन मूर्ति हाउस की आर्टिस्टिक प्रकाश व्यवस्था की संस्थापना तथा 'तीन मूर्ति' के चारों ओर प्रकाश व्यवस्था, एनएमएमएल के सूचना केन्द्र की स्थापना, नए सिगनेजेज की शुरुआत; नए सोवनेर्स का विकास; प्लेन्टेरियम के सुधार कार्य की पूर्ति तथा राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के सम्बन्ध में फोटो प्रदर्शनियों, फिल्मोत्सव, थियेटर महोत्सव वॉक तथा भ्रमण आदि का आयोजन करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (3.50 करोड़ रुपए)।
- (18) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान - एनसीएसएम मुख्यालयों सहित 27 विज्ञान केन्द्रों की चालू योजनाओं के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (4.85 करोड़ रुपए)।
- (19) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत प्राचीन स्मारकों तथा शोध पुरातत्वीय स्थलों अधिनियम 2010 के कार्यान्वयन के कारण राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना हेतु स्थापना शीर्ष के तहत अपेक्षित अतिरिक्त व्यय (14.80 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए उपर्युक्त मद (क) (1) से (19) के सम्बन्ध में सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ख) (1) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों कार्यान्वयन के कारण वर्धित वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभों आदि के भुगतान हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान :-
- (12) Grants for creation of capital assets for completion of various projects under the scheme Celebration of 150th Anniversary of the First War of Independence, 1857 (Rs.20.00 crore).
- (13) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Setting up of National Gandhi Heritage Site Mission' to construct modern library, Exhibition Centre and Conference Hall at Dandi; establishment of Gandhi Heritage Portal at Sabarmati Ashram; printing of publication of 'Gandhi Heritage Site -A Comprehensive List' and upgradation of Saifee Villa (Rs.14.75 crore).
- (14) Grants-in-aid-General to Delhi Public Library - to meet the additional expenditure on account of repair and renovation works at DPL Central Library building at S.P.Mukherjee Marg, purchase of furnitures and holding of Exhibitions in connection with the Commonwealth Games in Delhi, 2010 (Rs.0.67 crore).
- (15) Grants-in-aid-General to Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata - to meet additional expenditure towards enhanced matching share to various State Governments for development of public libraries, as part of Development of Library Movement (Rs.5.00 crore).
- (16) Grants-in-aid-General to National Mission for Manuscripts - to meet the additional expenditure on continuing activities as well as for expanding its activities by the Mission during the current financial year (Rs.3.95 crore).
- (17) Grants-in-aid-General to Nehru Memorial Museum and library to install artistic lighting to light up Teen Murti House from outside as well as 'Teen Murtis' roundabout, setting up of Information Centre of NMML, introduction of new signages; upgradation of canteen; development of new souvenirs; completion of renovation work of Planetarium and to organize photo exhibitions, film festival, theatre festival, nature walk and tours etc. in connection with Commonwealth Games, 2010 (Rs.3.50 crore).
- (18) Grants for creation of capital assets to National Council of Science Museums - to meet the additional expenditure for its continuing schemes at 27 Science Centre's including NCSM Headquarters (Rs.4.85 crore).
- (19) Additional expenditure is required under the establishment head for setting up of National Monuments Authority under Archaeological Survey of India (ASI) arising out of the implementation of Ancient Monuments & Archaeological Sites Remains (AMASR) Act- 2010 (Rs.14.80 crore).
- As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in respect of items (a) (1) to (19) above.
- (b) (1) Grants-in-aid-General to the following institutions for payment of enhanced salary, allowances, retirement benefits etc. on account of implementation of the

- (i) संगीत नाटक अकादमी (3.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) ललित कला अकादमी (1.25 करोड़ रुपए)।
- (iii) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (0.70 करोड़ रुपए)।
- (iv) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह (1.18 करोड़ रुपए)।
- (v) द एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (0.60 करोड़ रुपए)।
- (vi) केन्द्रीय सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण (0.30 करोड़ रुपए)।
- (vii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (1.25 करोड़ रुपए)।
- (viii) राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन (1.10 करोड़ रुपए)।
- (ix) खुदा बख्स ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना (0.38 करोड़ रुपए)।
- (x) भारतीय संग्रहालय (0.89 करोड़ रुपए)।
- (xi) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (10.21 करोड़ रुपए)।

(2) बौद्ध सांस्कृतिक फाउंडेशन, मोनास्टिक स्कूल, तवांग और आनन्द बुद्ध विहार ट्रस्ट' सिकन्दराबाद को अनुदान की दूसरी किश्त के भुगतान के सन्दर्भ में भगवान बुद्ध के '2550वीं वर्षगांठ' योजना तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.80 करोड़ रुपए)।

(3) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में पात्र कलाकारों को भुगतान करने हेतु 'प्रतिष्ठित कलाकारों को यात्रा अनुदान' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.95 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक उपर्युक्त मद (ख) (1) से (3) के सम्बन्ध में मांगा गया है।

(4) 'गुरु-ता-गद्दी के त्रिशताब्दी आयोजन' योजना के तहत आनन्दपुर साहिब तथा तलवंडी साबो के परियोजनाओं के विकास पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (83.20 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

recommendation of Sixth Central Pay Commission recommendations: -

- (i) Sangeet Natak Akademi (SNA), (Rs.3.00 crore).
- (ii) Lalit Kala Akademi, (Rs.1.25 crore).
- (iii) National School of Drama, (Rs.0.70 crore).
- (iv) Central Institute of Buddhist Studies, Leh (Rs.1.18 crore).
- (v) The Asiatic Society, Kolkata (Rs.0.60 crore).
- (vi) Centre for Cultural Resources and Training (CCRT), (Rs.0.30 crore).
- (vii) Delhi Public Library (DPL), (Rs.1.25 crore).
- (viii) Raja Rammohun Roy Library Foundation, (Rs.1.10 crore).
- (ix) Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna (Rs.0.38 crore).
- (x) Indian Museum, (Rs.0.89 crore).
- (xi) National Council of Science Museums (NCSM), (Rs.10.21 crore).

(2) Grants-in-aid-General under the Scheme 2550th Anniversary of Mahaparinivana of Lord Buddha - towards payment of 2nd installment of grant to Buddha Cultural Foundation, Monastic School, Tawang, and to Anand Buddha Vihara Trust, Scinderabad (Rs.0.80 crore).

(3) Grants-in-aid-General under the scheme 'Travel Grant to Eminent Artists' for making payment to eligible artists in various cultural fields (Rs.0.95 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in respect of items (b) (1) to (3) above.

(4) Grants for creation of capital assets under the Scheme 'Commemoration of Tercentenary of Guru-ta-Gaddi' to meet the additional expenditure on development projects for Anandpur Sahib and Talwandi Sabo (Rs.83.20 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.20

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिए)।

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	0.24	...
	स्वीकृत	Voted:	11245.89	1181.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	भारित	Charged:	...	0.05
	स्वीकृत	Voted:	40.01	...
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	11286.14	1181.77
	भारित	Charged:	0.24	0.05
	स्वीकृत	Voted:	11285.90	1181.72

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
2037-सीमा शुल्क	स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (का)
2852-उद्योग	स्वीकृत	Voted:	...	40.00 (खb)
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section	...	40.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	Charged:	...	0.05 (गc)
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	...	40.06
	भारित	Charged:	...	0.05
	स्वीकृत	Voted:	...	40.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

- (क) तटरक्षक संगठन के लिए 'लघु निर्माण कार्य' के तहत 62 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। चूँकि अनुदान के राजस्व भाग में समतुल्य बचत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक अनुदान माँगा गया है।
- (ख) पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से रक्षा मंत्रालय को कम्पनी के अंतरण पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को पोत निर्माण सब्सिडी के रूप में 40 करोड़ रुपए प्रदान करने हेतु। इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा, क्योंकि पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदान माँगों में इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध मौजूदा बजट प्रावधान अभ्यर्पित किया जाएगा।
- (ग) जिला न्यायालय, कोलकाता द्वारा दिए गए निर्देशों के फलस्वरूप 0.05 करोड़ रुपए भुगतान करने के संबंध में। चूँकि अनुदान के राजस्व भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) Towards meeting additional requirement of Rs.62 crore under 'Minor Works' for Coast Guard Organisation. As equivalent saving is available within Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Towards providing Rs. 40 crore as shipbuilding subsidy to Hindustan Shipyard Limited on transfer of the company from the administrative control of Ministry of Shipping to Ministry of Defence. This will not entail additional cash outgo as the existing budget provision available in the Demands for Grants of Ministry of Shipping for the purpose will be surrendered.
- (c) Towards making payment of Rs.0.05 crore arising out of the directions given by District Court, Kolkota. As equivalent savings are available under Revenue Section of the grant, this will not entail cash outgo

मांग संख्या DEMAND NO.22

रक्षा सेवाएँ - थल सेना
DEFENCE SERVICES - ARMY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)।

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	17.03	...
	स्वीकृत	Voted:	58978.16	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	स्वीकृत	Voted:	1500.00	...
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		
	भारित	Charged:	17.03	...
	स्वीकृत	Voted:	60478.16	...
			60495.19	60495.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
2076-रक्षा सेवाएँ - थलसेना	स्वीकृत	2076-Defence Services - Army	Voted:	...
			1500.00	1500.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता पूर्वी क्षेत्र में न्यू-रेजिंग के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है (1500 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required to meet the additional expenditure on account of New Raisings in the Eastern Sector (Rs. 1500 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवाएं - नौसेना
DEFENCE SERVICES - NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)।
(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:					
	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.25	...	1.25
	स्वीकृत	Voted:	9453.78	...	9453.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	3.20	...	3.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9458.23	...	9458.23	
	भारित	Charged:	4.45	...	4.45
	स्वीकृत	Voted:	9453.78	...	9453.78

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2077-रक्षा सेवाएं - नौसेना	2077-Defence Services - Navy				
	भारित	Charged:	...	3.20	3.20

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा बिक्री कर विभाग और मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए दिए गए पंचाट फैसले से होने वाले 3.20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required to meet the additional expenditure of Rs. 3.20 crore arising out of arbitration award given by High Courts of Hyderabad in favour of Sales Tax Department and Mumbai for payment of compensation. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 25

रक्षा आयुध कारखाने
DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)।

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1.50	...	1.50
	स्वीकृत	Voted:	1998.34	...	1998.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	1.15	...	1.15
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		...	2000.99
	भारित	Charged:	2.65	...	2.65
	स्वीकृत	Voted:	1998.34	...	1998.34

II. इस पूरक विनियोग अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2079- रक्षा आयुध कारखाने	भारित	2079-Defence Ordnance Factories			
		Charged:	...	1.15	1.15

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता न्यायालय के आदेशों से होने वाली 1.15 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु हैं। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required to meet the additional expenditure of Rs. 1.15 crore arising out of court orders. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 27

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)।
(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	...	36.80
	स्वीकृत	Voted:	...	59963.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	भारित	Charged:	...	20.25
	स्वीकृत	Voted:	...	813.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		
	भारित	Charged:	...	57.05
	स्वीकृत	Voted:	...	60776.21

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		4076-Capital Outlay on Defence Services		
	भारित	Charged:	...	20.25 (का)
	स्वीकृत	Voted:	...	813.01 (खb)
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		
	भारित	Charged:	...	20.25
	स्वीकृत	Voted:	...	813.01

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है :

- (क) न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप हुए 20.25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में;
- (ख) (i) पूर्वी क्षेत्र में न्यू रेजिंग्स के लिए 513 करोड़ रुपए (ii) जम्मू एवं कश्मीर में न्यायालय के आदेश पर भूमि अधिग्रहण और पूर्वी क्षेत्र में नए अधिग्रहण के लिए 300 करोड़ रुपए; (iii) प्रक्रियाधीन विकास के अन्तर्गत थल सेना तथा नौसेना के वित्तीय व्यय (100 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए 0.01 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान।

उपर्युक्त पूरक अनुदानों में 833.25 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes :

- (a) Towards meeting additional expenditure of Rs.20.25 crore arising out of Court orders;
- (b) (i) Rs.513 crore for New Raisings in Eastern Sector (ii) Rs.300 crore for land acquisition on Court orders in Jammu & Kashmir and fresh acquisition in Eastern Sector (iii) A token provision of Rs.0.01 crore for meeting financial outgo (Rs.100 crore) on account of Development under Make Procedure for Army and Navy.

The above supplementaries will entail cash outgo of Rs.833.25 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 29

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	1020.96	284.29	1305.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	1020.98	284.29	1305.27

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना			जोड़
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	स्वीकृत	3403-Oceanographic Research	Voted:	0.01 (क)a)	...
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	3425-Other Scientific Research	Voted:	0.01 (ख)b)	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...
					0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

The Supplementary grant is sought for:

(क) 'भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र' योजना के तहत प्रतिरूपण प्रयोगशाला और उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग प्रणाली के भवन निर्माण हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन संबंधी सहायता अनुदान के तहत व्यय की पूर्ति हेतु (5.00 करोड़ रुपए); तथा

(a) meeting expenditure (Rs.5.00 crore) under Grants-in-aid towards creation of Capital Assets for construction of building of Modelling Laboratory & High Performance Computing System under the scheme 'Indian National Centre for Ocean Information Services'; and

(ख) भारतीय उष्ण कटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे में 'पृथ्वी तंत्र विज्ञान और संस्कृति' में एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (4.00 करोड़ रुपए)।

(b) meeting additional expenditure (Rs.4.00 crore) under Grants-in-aid for implementation of an advanced training programme in 'Earth System Science and Culture' at Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.30

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)।

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 2555.74	45.42	2601.16	
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत Total (Original plus Supplementary)	Voted: 0.01	...	0.01	
	स्वीकृत	Voted: 2581.75	45.42	2617.17	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2406-वानिकी और वन्यजीव	2406-Forestry and Wildlife				
	स्वीकृत	Voted: 0.01	...	0.01	

यह पूरक अनुदान भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् को पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन संबंधी सहायता अनुदान(3.65 करोड़ रुपए) के लिए मांगा गया है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for Grants-in-aid towards creation of capital assets (Rs.3.65 crore) to Indian Council of Forestry Research and Education. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.31

विदेश मंत्रालय
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	0.03	...
	स्वीकृत	Voted:	5621.57	753.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	स्वीकृत	Voted:	6.00	...
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	5627.60	753.40
	भारित	Charged:	0.03	...
	स्वीकृत	Voted:	5627.57	753.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग		3605- Technical & Economic Cooperation with Other Countries		
	स्वीकृत	Voted:	...	6.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता कोलम्बो योजना के तहत संचालित विभिन्न कार्यकलापों संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting the expenditure on various activities administered under the Colombo Plan. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 32

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)।

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	6821.08	1850.40	8671.48	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	24.52	11327.15	11351.67	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	6845.60	13177.55	20023.15	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
3466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	Voted:	...	0.01 (खब)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	Voted:	...	24.50 (गक)	24.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	Voted:	...	24.52	24.52
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	Voted:	...	11327.15 (घद)	11327.15
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	11351.67	11351.67

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है :

This Supplementary Grant is required for the following purposes :

(क) विश्व बैंक द्वारा प्रशासित दक्षिण-दक्षिण अनुभव आदान-प्रदान न्यास निधि (एसईईटीएफ) में भारत के अंशदान के संबंध में भुगतान करने हेतु (2.40 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(a) For making payment (Rs.2.40 crore) towards India's contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund (SEETF) administered by the World Bank. As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) मुद्रा निदेशालय की स्थापना के संबंध में स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (1.95 करोड़ रुपए)।

(b) (i) For meeting establishment related expenditure (Rs.1.95 crore) in connection with setting up of the Directorate of Currency.

(ii) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति सम्मेलन के आयोजन हेतु निधियां प्रदान करने हेतु (0.50 करोड़ रुपए)। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और अन्य देशों, विशेषकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अनुसंधान अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और उद्योगपतियों को एक साथ एक मंच पर लाना है।

(ii) For providing funds (Rs.0.50 crore) for hosting an International Conference on Economic Policy, which aims to bring together research economists, policy makers and industrialists from India and other countries, especially emerging economies.

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ग) (i) तुर्कमेनिस्तान सरकार को 1995 में प्रदान किए गए ऋण शृंखला के सम्बन्ध में बकाया देयों (4.50 करोड़ रुपए) को माफ करने हेतु। चूंकि इसको समकक्ष राशि की प्राप्तियों से समतुल्य किया जाएगा, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ii) तुर्कमेनिस्तान सरकार को 1995 में प्रदान किए गए ऋण शृंखला के सम्बन्ध में बकाया ऋणों से सम्बद्ध ब्याज/शास्ति व्यय (20.00 करोड़ रुपए) की माफी हेतु। चूंकि इसको समकक्ष राशि की प्राप्तियों से समतुल्य किया जाएगा, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में 11327.15 करोड़ रुपए में भारत का निम्नलिखित के संबंध में कोटा बढ़ोत्तरी हेतु भुगतान करने के लिए :
- (i) प्रतिभूतियों के सृजन के संबंध में (8467.04 करोड़ रुपए)। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जरिए होने वाली प्राप्तियों से इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (ii) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के कोटे में बढ़ोत्तरी हेतु (2860.11 करोड़ रुपए) इसमें नकद व्यय होगा।

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) For waiving of outstanding dues (Rs. 4.50 crore) in respect of line of credit extended to Government of Turkmenistan in 1995. As this will be matched by receipts of equivalent amount, there will be no cash out go.
- (ii) For waiving of interest/penal interest (Rs. 20.00 crore) on loans outstanding against the line of credit extended to Government of Turkmenistan in 1995. As this will be matched by receipts of equivalent amount, there will be no cash outgo.
- (d) For making payment towards India's quota increase at International Monetary Fund (IMF) Rs.11327.15 crore as under:
- (i) Towards creation of securities (Rs.8467.04 crore). There will be no cash outgo as this will be matched by receipts through securities to be issued.
- (ii) For India's quota increase in the International Monetary Fund (IMF) (Rs.2860.11 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 33

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)।

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	32284.10	17325.00	49609.10	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	110.00	2320.12	2430.12	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	32394.10	19645.12	52039.22	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	Voted: ...	110.00 (का)	110.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और कारोबारी संस्थाओं में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: 1900.00 (ख)	420.12 (ग)	2320.12
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted: 1900.00	530.12	2430.12

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है :

The supplementary grant is sought for the following purposes :

(क) बजट भाषण 2010-11 में घोषित स्वावलम्बन योजना को निधिपोषण सहायता प्रदान करने हेतु (110 करोड़ रुपए)। इसकी पूर्ति असंगठित क्षेत्र के कामगारों की राष्ट्रीय सुरक्षा निधि से की जाएगी।

(a) For providing funding support to Swavalamban Scheme (Rs.110 crore) announced in Budget Speech 2010-11. This will be met from National Social Security Fund for Unorganised Sector Workers.

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (1450 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) (450 करोड़ रुपए) में भारतीय रिजर्व बैंक की शेरर धारिता को भारत सरकार को 1900 करोड़ रुपए की धारिता लागत पर अंतरित करने के लिए प्रावधान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) For making provision for transfer of RBI shareholding in National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (Rs.1450 crore) and National Housing Bank (NHB) (Rs.450 crore) to the Government of India at the holding cost of Rs.1900 crore. This will entail cash outgo.

(ग) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) को 90 मिलियन अमरीकी डॉलर (420.12 करोड़ रुपए) के ऋण के पास थू के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

(c) For pass through of the loan of US\$ 90 million (Rs.420.12 crore) from International Development Association (IDA) to Small Industries Development Bank of India (SIDBI). This will entail cash outgo.

संख्या NO.34 (विनियोग) (APPROPRIATION)

ब्याज अदायगियां
INTEREST PAYMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिए)।

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल विनियोग:		I. ORIGINAL APPROPRIATION:		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	भारित	Charged: 251664.00	...	251664.00
		Supplementary Estimate of the amount now required:		
जोड़ (मूल और पूरक)	भारित	Charged: 0.01	...	0.01
		Total (Original plus Supplementary)		
	भारित	Charged: 251664.01	...	251664.01

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
2048- ऋण की कटौती अथवा परिहार हेतु विनियोग	भारित	Charged: ...	0.01	0.01
		2048- Appropriation for reduction or avoidance of Debt		

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता सरकारी प्रतिभूतियों के पुनःक्रय से हुए प्रीमियम भुगतान संबंधी आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त 100 करोड़ रुपए के अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु है। चूंकि विनियोग के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for recouping the advance of Rs. 100 crore obtained from Contingency Fund of India for meeting the incidental expenditure towards payment of premium arising out of buyback of Government securities. As savings are available in the same section of the Appropriation, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	32639.00	8163.44	40802.44
	स्वीकृत	Voted:	78269.81	...	78269.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	...	2000.00	2000.00
	स्वीकृत	Voted:	4379.01	...	4379.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		115287.82	10163.44	125451.26
	भारित	Charged:	32639.00	10163.44	42802.44
	स्वीकृत	Voted:	82648.82	...	82648.82
II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
			Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	स्वीकृत	2245- Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	0.01 (का)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted:	4379.00 (खब)	...
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	4379.00	0.01
				4379.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	भारित	7601- Loans and Advances to State Governments	Charged:	2000.00 (गं)	...
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		6379.00	0.01
	भारित		Charged:	2000.00	...
	स्वीकृत		Voted:	4379.00	0.01

यह पूरक विनियोग/अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:-

(क) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) की आरक्षित निधि तथा जमा लेखों को अन्तरण [3560 करोड़ रुपए]। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक अनुदान माँगा गया है।

(ख) (i) जम्मू एवं कश्मीर को विशेष आयोजना सहायता (1779 करोड़ रुपए)।

(ii) जम्मू कश्मीर सहित विशेष श्रेणी के राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता (2500 करोड़ रुपए)।

(iii) कपड़ा उद्योगों को बनाए रखने के लिए निस्सारी शोधन हेतु तिरुपुर, तमिलनाडु में शून्य द्रव उत्सर्जन प्रणाली की स्थापना हेतु, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (100 करोड़ रुपए)।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The Supplementary Appropriation/Grant is required for: -

(a) Transfer to Reserve Fund & Deposit Accounts of National Disaster Response Fund (NDRF) [Rs.3560 crore]. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Special Plan Assistance to Jammu & Kashmir (Rs.1779 core).

(ii) Special Central Assistance to Special Category States including Jammu & Kashmir (Rs.2500 crore).

(iii) Additional Central Assistance for establishment of Zero Liquid Discharge System in Tirupur, Tamil Nadu for effluent treatment to sustain textile industries (Rs.100 crore).

This will entail net cash outgo.

(c) Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Projects. This will entail net cash outgo.

संख्या NO.37 (विनियोग) (APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी
REPAYMENT OF DEBT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)।

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:				
	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	...	3382664.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			3382664.56
	भारित	Charged:	...	3894.59
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			3894.59
	भारित	Charged:	...	3386559.15
				3386559.15

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूँजी भाग				
मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION			
6001-केन्द्र सरकार का	MAJOR HEAD			
आंतरिक ऋण	6001- Internal Debt of Central Government			
	भारित	Charged:	...	3894.59
				3894.59

इस पूरक विनियोग को आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु है:

The Supplementary Appropriation is required to meet additional requirement of funds for the following purposes:

- (i) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वित्तीय लेन-देन योजना (एफटीपी) के तहत क्रय सौदे के संबंध के भुगतान हेतु (3861.29 करोड़ रुपए)।
- (ii) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) को आईबीआरडी यूएसडी नोट सं. 1 के नकदीकरण के लिए भुगतान करने हेतु (33.30 करोड़ रुपए)।

- (i) For making payment to International Monetary Fund (IMF) towards purchase transaction under Financial Transaction Plan (FTP) (Rs.3861.29 crore).
- (ii) For making payment to International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) for encashment of IBRD USD Note No. 1 (Rs.33.30 crore).

इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय की पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी।

There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

मांग संख्या DEMAND NO.41

राजस्व भाग
DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।
(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:					
	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	11122.10	0.77	11122.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान जोड़ (मूल और पूरक)	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	1000.01	27.00	1027.01
	Total (Original plus Supplementary)		12122.13	27.77	12149.90
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	12122.11	27.77	12149.88

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	...	0.01 (का)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	...	1000.00 (खब)	1000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत	...	1000.01	1000.01
पूंजी भाग				
मुख्य शीर्ष				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	...	26.00 (गक)	26.00
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	...	1.00 (घद)	1.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत	...	27.00	27.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	...	1027.01	1027.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:
(क) मादक पदार्थों पर नियंत्रण हेतु कार्यकलाप आरंभ करने के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों (5.00 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान जारी करने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (1000 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) नई दिल्ली में राजस्व भवन के निर्माण हेतु।

(घ) गाजीपुर और नीमच में सरकारी अफीम और क्षारोद निर्माण कार्यों के लिए मशीनों की खरीद हेतु।

मद (ग) और (घ) में नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी।

The Supplementary Grant is sought for the following purposes:

(a) For releasing grants-in-aid to Non Governmental Organisations (Rs.5.00 crore) towards undertaking activities for Control of Drug Abuse. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) For meeting additional requirement for compensation to State Governments for revenue loss due to phasing out of Central Sales Tax (Rs.1000 crore). This will entail cash outgo.

(c) For construction of Rajaswa Bhawan in New Delhi.

(d) For purchase of machines for the Government Opium and Alkaloid Works at Ghazipur and Neemuch.

Items (c) and (d) will not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Revenue Section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO. 46

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	24015.06	1221.01	25236.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	100.01	0.01	100.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	24115.07	1221.02	25336.09

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210- Medical and Public Health			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	100.00 (खb)	100.01
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	0.01	100.00
				100.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210- Capital Outlay on Medical and Public Health			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	100.00
				100.02

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210- Medical and Public Health			
स्वीकृत	Voted:	...	-100.00	-100.00

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनार्थ हैं:-

The supplementary grants are required for the following purposes:

- (क) (i) राज्य मलेरिया नियंत्रण सोसाइटियों से सहायता अनुदान (79.96 करोड़ रुपए)।
- (ii) एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों के शामिल करने हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाओं को भुगतान (5.00 करोड़ रुपए)।

- (a) (i) Grants-in-aid to the State Malaria Control Societies (Rs.79.96 crore).
- (ii) To pay to National Informatics Centre Services Incorporation for Information Technology activities under the Integrated Disease Surveillance Project (Rs.5.00 crore).

- (iii) एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के तहत राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों को सहायता अनुदान (18.36 करोड़ रुपए)।
- (iv) पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन पर वर्धित व्यय की पूर्ति हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान (69.58 करोड़ रुपए)।
- (v) पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन पर व्यय की पूर्ति हेतु जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान की सहायता अनुदान (71.55 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ख) (i) भूतपूर्व वरिष्ठ रेजीडेंट डाक्टरों के 60 प्रतिशत वेतन बकाया के संवितरण तथा स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त संकाय के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए वल्लभभाई पटेल संस्थान, नई दिल्ली से सहायता अनुदान (4.78 करोड़ रुपए)।
- (ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश से सम्बद्ध वेतन/प्रोत्साहनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की सहायता अनुदान (100.00 करोड़ रुपए)।
- (iii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश से सम्बद्ध वेतन/प्रोत्साहनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान (75.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- (iv) डीडीटी की कीमतों में बढ़ोतरी हेतु पिछली देयताओं का निपटान करने तथा डीडीटी की और अधिप्राप्ति हेतु (100.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि इसे "वसूलियों को घटाकर" द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) (i) 7 सरकारी मेडिकल स्टोर डिपुओं में कोल्ड चने सुविधाएं बढ़ाना (10.08 करोड़ रुपए)।
- (ii) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली: राष्ट्रमण्डल खेल स्थानों में चिकित्सा केन्द्र की स्थापना तथा चिकित्सा सुविधाओं की मजबूती के लिए पूंजी कार्यों से सम्बद्ध अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति (6.93 करोड़ रुपए)।
- (iii) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली: राष्ट्रमंडल खेल, 2010 को ध्यान में रखते हुए आपत्कालीन ब्लाक भवन के निर्माण की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति और 16 वीआईपी कमरों के परिचर्चागृहों का उन्नयन, मशीनरी तथा उपकरण की अधिप्राप्ति तथा अन्य मुख्य निर्माण कार्य, हेतु (20.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- (iii) Grants-in-aid to States Health Societies under the Integrated Disease Surveillance Project (Rs.18.36 crore).
- (iv) Grants-in-aid to All India Institute of Medical Sciences, New Delhi for meeting increased expenditure on creation of Capital Assets (Rs.69.58 crore).
- (v) Grants-in-aid to Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry for meeting expenditure on creation of Capital Assets (Rs.71.55 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid-General to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, New Delhi, for disbursing the balance of 60% arrear of salary to ex-Senior/Junior Resident Doctors and also making the payment of retirement benefits to voluntarily retired faculty (Rs.4.78 crore).
- (ii) Grants-in-aid-General to All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for meeting additional expenditure on account of salary/incentives on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.100.00 crore).
- (iii) Grants-in-aid-General to Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for meeting additional expenditure on account of salary/ incentives on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.75.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (iv) To settle the past liabilities for increase in prices of DDT and also more procurement of DDT (Rs.100.00 crore).

Since it is matched by "Deduct Recoveries", there will be no cash outgo.

- (c) (i) To augment cold chain facilities in 7 Government Medical Store Depots (Rs.10.08 crore)
- (ii) Safdarjung Hospital, New Delhi: For meeting additional requirements on capital works towards establishment of Medical Centre in Commonwealth Games venues and strengthening of medical facilities (Rs.6.93 crore).
- (iii) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi: For meeting additional requirements on construction of Emergency Block Building and upgradation of 16 Nursing Home VIP rooms, procurement of Machinery & Equipments and also other major works, in view of the Commonwealth Games 2010 (Rs.20.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.49

भारी उद्योग विभाग
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिए)।

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	375.01	506.70	881.71
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत Total (Original plus Supplementary)	Voted:	12.27	103.99	116.26
			387.28	610.69	997.97

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2802-पेट्रोलियम	स्वीकृत 2802- Petroleum	Voted:	...	6.42 (का)	6.42
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852- Industries	Voted:	...	5.85 (खb)	5.85
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत Total Revenue Section	Voted:	...	12.27	12.27
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4858-इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत 4858-Capital Outlay on Engineering Industries	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
6858-इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत 6858-Loans for Engineering Industries	Voted:	...	103.98 (घd)	103.98
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत Total Capital Section	Voted:	0.01	103.98	103.99
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted:	0.01	116.25	116.26

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

- (क) समुद्रपारीय 21 संविदा की बकाया राशियों के निपटान के संबंध में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. को सहायता अनुदान। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम को लाभांश की प्रतिपूर्ति के संबंध में अनुदान। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लि. (आरईआईएल) को अतिरिक्त इक्विटी निवेश (3.57 करोड़ रुपए) और इंस्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा (3.5 प्रतिशत प्रतिदेय अधिमान शेयर) में अतिरिक्त निवेश (5.00 करोड़ रुपए) की व्यवस्था के लिए। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (घ) एचएमटी लि. को सरकारी गारंटी कृत ऋण और ब्याज के मोचन हेतु ऋण प्रदान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) grants-in-aid to Oil and Natural Gas Corporation Ltd towards settlement of outstanding dues of offshore 21 contract. This will entail cash outgo.
- (b) grants to Life Insurance Corporation of India towards reimbursement of dividend. This will entail cash outgo.
- (c) for providing additional equity investment (Rs.3.57 crore) in Rajasthan Electronics and Instruments Ltd (REIL) and additional investment (Rs.5.00 crore) in Instrumentation Ltd., Kota (3.5% redeemable preference shares). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) for providing loans to HMT Ltd for redemption of government guaranteed loan and interest. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 51

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिए)।

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.30	...	0.30
	स्वीकृत	Voted:	3195.12	87.97	3283.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	1027.26	0.02	1027.28
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		87.99	4310.67
	भारित	Charged:	0.30	...	0.30
	स्वीकृत	Voted:	4222.38	87.99	4310.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070- Other Administrative Services	Voted:	...	104.26 (का) 104.26
3454-जनगणना, सर्वेक्षण और आंकड़े	स्वीकृत	3454- Census, Surveys and Statistics	Voted:	923.00 (खब)	... 923.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted:	923.00	104.26 1027.26
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4059- Capital Outlay on Pubic Works	Voted:	...	0.01 (गक) 0.01
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4070- Capital Outlay on other Administrative Services	Voted:	...	0.01 (घद) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत	Total (Capital Section)	Voted:	...	0.02 0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	923.00	104.28 1027.28

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) (i) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए आसूचना ब्यूरो की एमएसी/एसएमएसी परियोजना हेतु नई लीजिंग लाइनें (104.26 करोड़ रुपए)।
- (ii) अंतरराज्यीय परिषद् सचिवालय का किराया दरें और कर (0.02 करोड़ रुपए) तथा विज्ञापन और प्रचार (0.95 करोड़ रुपए) के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।
- (iii) असैन्य सुरक्षा में पुनः सुधार के लिए कार्यालय व्यय (0.05 करोड़ रुपए), अन्य प्रशासनिक व्यय (0.20 करोड़ रुपए), विज्ञापन एवं प्रचार (0.14 करोड़ रुपए) और व्यावसायिक सेवाओं (0.20 करोड़ रुपए) के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 1.56 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 104.26 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) (i) new leasing lines for MAC/SMAC project of Intelligence Bureau for Commonwealth Games, 2010 (Rs. 104.26 crore).
- (ii) meeting expenditure under Rent, Rates and Taxes (Rs. 0.02 crore) and Advertisement and Publicity (Rs. 0.95 crore) of Inter State Council Secretariat.
- (iii) meeting expenditure under Office Expenses (Rs. 0.05 crore), Other Administrative Expenses (Rs. 0.20 crore), Advertisement and Publicity (Rs. 0.14 crore) and Professional Services (Rs. 0.20 crore) for revamping of Civil Defence.

Taking into account savings of Rs. 1.56 crore available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs. 104.26 crore.

- (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) (i) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालय और रिहायशी आवास का निर्माण (7.29 करोड़ रुपए)।
- (ii) आसूचना ब्यूरो की निर्माण परियोजनाएं (17.84 करोड़ रुपए)।
- (iii) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज के उन्नयन के तहत नई परियोजना (5.51 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (घ) आसूचना ब्यूरो की तटवर्ती सुरक्षा हेतु 12 टन के नावों की खरीद (41.60 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (b) meeting additional expenditure on National Population Register. This will entail cash outgo.
- (c) (i) construction of office-cum-residential accomodation of Narcotics Control Bureau (Rs. 7.29 crore).
- (ii) construction projects of Intelligence Bureau (Rs. 17.84 crore).
- (iii) new project under upgradation of National Fire Services College (Rs. 5.51 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

- (d) procurement of 12 tonne boats for Coastal Security of Intelligence Bureau (Rs. 41.60 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 52

मंत्रिमंडल CABINET

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिए)।
(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.05	...
	स्वीकृत	Voted:	334.32	91.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	20.00	17.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	354.37	108.05	462.42
	भारित	Charged:	0.05	...
	स्वीकृत	Voted:	354.32	108.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद	स्वीकृत 2013-Council of Ministers	Voted: ...	20.00 (का)	20.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत 4055-Capital Outlay on Police	Voted: ...	17.00 (खब)	17.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted: ...	37.00	37.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है :

- (क) (i) विशेष दूत (0.89 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (0.31 करोड़ रुपए) के विदेशी यात्रा व्यय के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को सहायता अनुदान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
(ii) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (4.74 करोड़ रुपए)।
(iii) निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी) संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (15.26 करोड़ रुपए)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 1.20 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 20.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (ख) विशेष रक्षा दल के मोटर वाहन (5 करोड़ रुपए) और मशीनरी तथा उपस्कर (12 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत मार्ग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes :

- (a) (i) meeting additional expenditure under grants-in-aid for Foreign Travel Expenses of Special Envoy (Rs.0.89 crore) and National Security Advisor (Rs.0.31 crore).
(ii) meeting expenditure on National Advisory Council (Rs.4.74 crore).
(iii) meeting expenditure on Performance Management Division (PMD) (Rs.15.26 crore).
- Taking into account savings of Rs. 1.20 crore available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.20.00 crore.
- (b) meeting additional expenditure on Motor Vehicles (Rs.5.00 crore) and Machinery & Equipment (Rs. 12.00 crore) of Special Protection Group.

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section of the grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.53

पुलिस
POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)।

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	4.26	7.90
	स्वीकृत	Voted:	23335.48	6822.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.06	...
	स्वीकृत	Voted:	1741.48	604.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		25081.27	7434.47
	भारित	Charged:	4.32	7.90
	स्वीकृत	Voted:	25076.95	7426.57

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	भारित	Charged:	...	0.06 (का)
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (खb)	761.47 (गc)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	Voted:	...	980.00 (घd)
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.01	1741.53
	भारित	Charged:	...	0.06
	स्वीकृत	Voted:	0.01	1741.47
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस	स्वीकृत	Voted:	...	604.00 (ङe)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.01	2345.53
	भारित	Charged:	...	0.06
	स्वीकृत	Voted:	0.01	2345.47

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) के तहत न्यायालय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कानूनी मामलों के लिए अनुषंगी प्रभारों आदि का भुगतान। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) अपराध एवं आपराधिक नेटवर्क प्रणाली (175.06 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) (i) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के घरेलू यात्रा व्यय (220.00 करोड़ रुपए) और एयर कुरियर सेवाओं (128.00 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) (150.39 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) (90.50 करोड़ रुपए) की राशन लागत संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

The supplementary grant /appropriation is required for the following purposes:

- (a) payment of court fees, stamp duties, ancillary charges for legal cases, etc. under National Intelligence Grid (NATGRID). This will entail cash outgo.
- (b) Crime and Criminal Network System (Rs.175.06 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) meeting additional expenditure on Domestic Travel Expenses (Rs.220.00 crore) and Air Courier Services (Rs.128.00 crore) of Border Security Force (BSF).
- (ii) meeting additional expenditure on Cost of Ration of Central Reserve Police Force (CRPF) (Rs.150.39 crore) and Central Industrial Security Force (CISF) (Rs.90.50 crore).

- (iii) सीआरपीएफ के लिए अन्य प्रभारों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (27.19 करोड़ रुपए)।
- (iv) सीआरपीएफ (50.00 करोड़ रुपए) और सशस्त्र सीमा बल (50.00 करोड़ रुपए) के अस्त्र-शस्त्र के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (v) नैटग्रिड की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (37.58 करोड़ रुपए)।
- (vi) असम राइफल्स (0.20 करोड़ रुपए) और अदालती विज्ञान निदेशालय (0.16 करोड़ रुपए) की व्यावसायिक सेवाओं संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
- (vii) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (41.20 करोड़ रुपए)।
- (viii) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) संबंधी भर्ती के तहत व्यय की पूर्ति हेतु (20.00 करोड़ रुपए)।
- (ix) कश्मीर घाटी में प्रतिबोधन कार्यकलाप (7.81 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 61.56 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 761.47 करोड़ रुपए तक का नकद व्यय होगा।

- (घ) (i) वामपंथी प्रतिवाद प्रभावित राज्यों के लिए विशेष पुलिस की भर्ती और सीपीएमएफ के कैम्प स्थलों का सुदृढीकरण (500.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) जम्मू एवं कश्मीर के लिए व्यय संबंधी सुरक्षा (470 करोड़ रुपए)।
- (iii) नक्सल प्रभावित राज्यों में किलाबंध पुलिस स्टेशनों का निर्माण (10.00 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

- (ङ) (i) सीआरपीएम की मशीनरी और उपस्कर के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (112.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) कार्यालय भवन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (200.00 करोड़ रुपए)।
- (iii) प्रश्न उठाए गए दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक के लिए भवन का निर्माण (0.50 करोड़ रुपए)।
- (iv) सीआईएसएफ के आवासीय भवन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (20.00 करोड़ रुपए)।
- (v) सीएसएफ द्वारा विभिन्न अड्डों में हवाई अड्डों के लिए स्थायी अवसंरचना का निर्माण (20.50 करोड़ रुपए)।
- (vi) सीआरपीएफ के लिए अस्त्र-शस्त्र संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (62.00 करोड़ रुपए)।
- (vii) बीएसएफ के लिए वामपंथी अतिवाद क्षेत्रों में एएनओ के लिए इनमरसैट सैटेलाइट टेलीफोन की खरीद (210.00 करोड़ रुपए)।
- (viii) सशस्त्र सीमा बल के लिए बीस महिन्द्रा रक्षक और एलएटीसी की खरीद (21.15 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 42.15 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 604.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (iii) meeting additional expenditure under Other Charges for CRPF (Rs.27.19 crore).
- (iv) meeting additional expenditure under Arms and Ammunition (General) of CRPF (Rs.50.00 crore) and Sashstra Seema Bal (Rs.50.00 crore).
- (v) meeting additional establishment related expenditure of NATGRID (Rs.37.58 crore).
- (vi) meeting expenditure on Professional Services of Assam Rifles (Rs. 0.20 crore) and Directorate of Forensic Science (Rs.0.16 crore).
- (vii) meeting expenditure on Modernisation of Police Forces of the Union Territories without Legislature (Rs.41.20 crore).
- (viii) meeting expenditure under Recruitment in respect of Central Para Military Forces (CPMFs) (Rs.20.00 crore).
- (ix) Perception management activities in Kashmir Valley (Rs.7.81 crore).

Taking into account savings of Rs.61.56 crore available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.761.47 crore.

- (d) (i) recruitment of Special Police for Left Wing Extremism affected States and strengthening of camp sites of CPMFs (Rs.500.00 crore).
- (ii) security related expenditure for Jammu and Kashmir (Rs.470.00 crore).
- (iii) construction of fortified Police Stations in the Naxal affected States (Rs.10.00 crore).

This will entail cash outgo.

- (e) (i) meeting additional expenditure under Machinery and Equipment of CRPF (Rs.112.00 crore)
- (ii) meeting additional expenditure on Office Building (Rs.200.00 crore).
- (iii) construction of building for Government Examiner of Questioned Documents (Rs. 0.50 crore).
- (iv) meeting additional expenditure on Residential Building of CISF (Rs.20.00 crore).
- (v) construction of permanent infrastructure for various Air bases by BSF (Rs.20.50 crore).
- (vi) meeting additional expenditure on Arms and Ammunition (Modernisation) for CRPF (Rs.62.00 crore).
- (vii) procurement of INMARSAT Satellite telephone for ANO in Left Wing Extremist Areas for BSF (Rs.210.00 crore).
- (viii) purchase of twenty Mahindra Rakshak and LATC for Sashstra Seema Bal (Rs.21.15 crore).

Taking into account savings of Rs.42.15 crore available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.604.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिए)।

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:				
	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.03	...
	स्वीकृत	Voted:	1359.51	136.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	36.73
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1359.57	173.14
	भारित	Charged:	0.03	...
	स्वीकृत	Voted:	1359.54	173.14

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070- Other Administrative Services	Voted: ...	0.01 (का)
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	स्वीकृत	2245- Relief on account of Natural Calamities	Voted: ...	0.01 (खब)
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत	2250- Other Social Services	Voted: 0.01 (गक)	...
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	0.02
पूंजी भाग				
मुख्य शीर्ष				
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4250- Capital Outlay on other Social Services	Voted: ...	36.73 (घद)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: 0.01	36.75

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है:

(क) वामपंथी अतिवाद क्षेत्रों में असेन्य कार्रवाई कार्यक्रम (15.00 करोड़ रुपए)।

(ख) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया दल की व्यावसायिक सेवाएं (0.97 करोड़ रुपए)।

(ग) विज्ञापन एवं प्रचार (10.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(घ) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में उपयोग हेतु मशीन और उपस्कर की खरीद। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on :

(a) Civic Action Programme in Left Wing Extremist Areas (Rs. 15.00 crore).

(b) Professional Services of National Disaster Response Force (Rs. 0.97 crore).

(c) Advertising and Publicity (Rs. 10.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

(d) Machinery & Equipment for utilization in the Commonwealth Games, 2010. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.56

आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिए)।

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	1007.03	...	1007.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1007.04	...	1007.04
स्वीकृत	Voted:	1007.04	...	1007.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण विश्व बैंक सहायता (आईडीए ऋण) के अन्तर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (1.00 करोड़ रुपए), व्यावसायिक सेवाएं (1.00 करोड़ रुपए) तथा अन्य प्रभार (0.50 करोड़ रुपए) से सम्बद्ध व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचते उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The Supplementary Grant is sought for meeting expenditure on the Other Administrative Expenses (Rs.1.00 crore), Professional Services (Rs.1.00 crore) and Other Charges (Rs.0.50 crore) under capacity Building for Urban Development- World Bank Assistance (IDA Loan). As Savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.57

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिए)।

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूँजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	47772.88	...	47772.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	4000.00	...	4000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	51772.88	...	51772.88

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202- General Education			
स्वीकृत	Voted:	3600.00 (का)	...	3600.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552- North Eastern Areas			
स्वीकृत	Voted:	400.00 (खb)	...	400.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	4000.00	...	4000.00

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगे गए हैं:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(क)(1) निम्नलिखित योजनाओं में पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान:</p> <p>(i) सर्वशिक्षा अभियान (3178.85 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ii) राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय, बाल भवन सोसाइटी (0.69 करोड़ रुपए)।</p> <p>(iii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (12.65 करोड़ रुपए)।</p> <p>(iv) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (180.89 करोड़ रुपए)।</p> <p>(v) तिब्बती शरणार्थी बच्चों (तिब्बती स्कूल सोसाइटी) को शैक्षणिक सुविधाएँ (5.99 करोड़ रुपए)।</p> <p>(vi) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (3.49 करोड़ रुपए)।</p> <p>(vii) नवोदय विद्यालय समिति (524.35 करोड़ रुपए)।</p> <p>(viii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (1124.99 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ix) उत्कृष्टता बेंचमार्क के रूप में प्रखंड स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु योजना (372.47 करोड़ रुपए)।</p> <p>(x) स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (0.59 करोड़ रुपए)।</p> <p>(xi) माध्यमिक स्कूल में अशक्त लोगों के लिए समावेशी शिक्षा (0.13 करोड़ रुपए)।</p> <p>(xii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (0.01 करोड़ रुपए)।</p> <p>(xiii) शिक्षा को व्यवसाय से संबद्ध करना (1.97 करोड़ रुपए)।</p> | <p>(a)(1) Grants for creation of capital assets in the following Schemes:</p> <p>(i) Sarva Shiksha Abhiyan (Rs.3178.85 crore).</p> <p>(ii) National Bal Bhawan, National Children's Museum Bal-Bhawan Society (Rs.0.69 crore).</p> <p>(iii) National Council of Educational Research and Training (Rs.12.65 crore).</p> <p>(iv) Kendriya Vidyalaya Sangathan (Rs.180.89 crore).</p> <p>(v) Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society) (Rs.5.99 crore).</p> <p>(vi) National Institute of Open Schooling (Rs.3.49 crore).</p> <p>(vii) Navodaya Vidyalayas Samiti (Rs.524.35 crore).</p> <p>(viii) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Rs.1124.99 crore).</p> <p>(ix) Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as bench mark of Excellence (Rs.372.47 crore).</p> <p>(x) Information & Communication Technology in Schools - Grants to Union Territories without Legislature (Rs.0.59 crore)</p> <p>(xi) Inclusive Education for Disabled at Secondary School (Rs.0.13 crore)</p> <p>(xii) Appointment of Language Teachers (Rs.0.01 crore).</p> <p>(xiii) Vocationalisation of Education (Rs.1.97 crore).</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

चूँकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (क) (2) शिक्षा अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य सहायता अनुदान (2203.90 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

- (क) (3) शिक्षा अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1396.10 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

- (ख)(1) निम्नलिखित योजनाओं में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान:

- (i) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (2.25 करोड़ रुपए)।
 (ii) स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (7.23 करोड़ रुपए)।
 (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (20.09 करोड़ रुपए)।
 (iv) नवोदय विद्यालय समिति (58.25 करोड़ रुपए)।
 (v) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (124.99 करोड़ रुपए)।

- (vi) उत्कृष्टता बेंचमार्क के रूप में प्रखंड स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु योजना (41.84 करोड़ रुपए)।

- (vii) माध्यमिक स्तर पर अशक्त लोगों के लिए समावेशी शिक्षा (0.09 करोड़ रुपए)।

- (viii) माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन की योजना (9.48 करोड़ रुपए)।

- (ix) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (0.01 करोड़ रुपए)।

- (x) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (4.99 करोड़ रुपए)।

- (xi) सर्व शिक्षा अभियान (61.29 करोड़ रुपए)।

- (xii) अल्पसंख्यक संस्थाओं में ढांचागत विकास हेतु योजना (1.06 करोड़ रुपए)।

- (xiii) शिक्षा को व्यवसाय से संबद्ध करना (2.49 करोड़ रुपए)।

चूँकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ख) (2) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शिक्षा अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (400.00 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (a) (2) Grants-in-aid General to Implementing Agencies in States/Union Territories for meeting additional expenditure on implementation of Right to Education Act (Rs.2203.90 crore).

This will entail cash outgo.

- (a) (3) Grants for creation of capital assets for implementation of Right to Education Act (Rs.1396.10 crore).

This will entail cash outgo.

- (b)(1) Grants for creation of capital assets in the following Schemes:

- (i) National Council of Educational Research and Training (Rs.2.25 crore)
 (ii) Information & Communication Technology in Schools (Rs.7.23 crore).
 (iii) Kendriya Vidyalaya Sangathan (Rs.20.09 crore).
 (iv) Navodaya Vidyalayas Samiti (Rs.58.25 crore).
 (v) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Rs. 124.99 crore).

- (vi) Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence (Rs.41.84 crore).

- (vii) Inclusive Education for Disabled at Secondary School (Rs.0.09 crore)

- (viii) Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools (Rs.9.48 crore).

- (ix) Appointment of Language Teachers (Rs.0.01 crore).

- (x) Strengthening of Teachers Training Institutions (Rs.4.99 crore).

- (xi) Sarva Shiksha Abhiyan (Rs.61.29 crore).

- (xii) Scheme for Infrastructure Development in Minority Institutions (Rs.1.06 crore).

- (xiii) Vocationalisation of Education (2.49 crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (2) Grants for creation of capital assets for implementation of Right to Education Act in North Eastern areas (Rs.400.00 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 58

उच्च शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिए)।

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	16690.00	...	16690.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	2093.27	...	2093.27
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	18783.27	...	18783.27

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202- General Education	Voted: 93.25 (क)	...	93.25
2203-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203- Technical Education	Voted: 0.01 (ख)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ग)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grant-in-Aid to State Governments	Voted: ...	2000.00 (घ)	2000.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: 93.27	2000.00	2093.27

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202- General Education	Voted: - 93.25	...	- 93.25

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गये हैं:

The supplementary grants are sought for the following:

- (क) (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग: निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को विशेष सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान:
- दिल्ली विश्वविद्यालय (33.25 करोड़ रुपए)।
 - मैसूर विश्वविद्यालय (30.00 करोड़ रुपए)।
 - पंजाब विश्वविद्यालय (30.00 करोड़ रुपए)।

- (a) (1) University Grants Commission: Grants-in-aid General for special assistance to the following universities:
- University of Delhi (Rs.33.25 crore).
 - University of Mysore (Rs.30.00 crore).
 - University of Punjab (Rs.30.00 crore).

चूंकि व्यय की पूर्ति सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि से की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

As the expenditure will be met from Social and Infrastructure Development Fund, there will be no cash outgo.

- (2) अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान:

- (2) Grants for creation of capital assets for the following Institutions for meeting additional expenditure requirements:

- ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना (0.05 करोड़ रुपए)।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1114.99 करोड़ रुपए)।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (1324.99 करोड़ रुपए)।
- केन्द्र सरकार द्वारा उन्नीत सम विश्वविद्यालय (38.99 करोड़ रुपए)।

- Establishment of Rural Universities (Rs.0.05 crore).
- University Grants Commission (Rs.1114.99 crore).
- Grants to Central Universities (Rs.1324.99 crore).
- Deemed Universities promoted by Central Government (Rs.38.99 crore).

- (v) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला (0.94 करोड़ रुपए)।
- (vi) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल (सीआईसीटी), चेन्नई (3.99 करोड़ रुपए)।
- (vii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (3.09 करोड़ रुपए)।
- (viii) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान (2.79 करोड़ रुपए)।
- (ix) आरोविले प्रबंधन (7.40 करोड़ रुपए)।
- (x) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (9.24 करोड़ रुपए)।
- (xi) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (1.09 करोड़ रुपए)।
- (xii) भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद (0.49 करोड़ रुपए)।
- (xiii) आईसीटी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (25.19 करोड़ रुपए)।

- (v) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (Rs.0.94 crore).
- (vi) Central Institute of Classical Tamil (CICT), Chennai (Rs.3.99 crore).
- (vii) Rashtriya Sanskrit Sansthan (Rs.3.09 crore).
- (viii) Grants to Rashtriya Ved Vidya Pratisthan (Rs.2.79 crore).
- (ix) Auroville Management (Rs.7.40 crore).
- (x) Indian Council of Social Science Research (Rs.9.24 crore).
- (xi) Indian Council of Historical Research (Rs.1.09 crore).
- (xii) Indian Council of Philosophical Research (Rs.0.49 crore).
- (xiii) National Mission in Education through ICT (Rs.25.19 crore).

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान:

- (i) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआई टीटीटीआर) (21.59 करोड़ रुपए)।
- (ii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई (0.56 करोड़ रुपए)।
- (iii) भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूर को अनुदान (59.99 करोड़ रुपए)।
- (iv) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम - कम्यूनिटी पोलिटेक्निक को अनुदान (29.99 करोड़ रुपए)।
- (v) अशक्त व्यक्तियों के लिए पोलिटेक्निक (0.35 करोड़ रुपए)।
- (vi) मौजूदा पोलिटेक्निकों का उन्नयन/नए पोलिटेक्निकों की स्थापना (219.98 करोड़ रुपए)।
- (vii) पोलिटेक्निकों में महिला छात्रावास (107.98 करोड़ रुपए)।
- (viii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (686.47 करोड़ रुपए)।
- (ix) भारतीय प्रबंधन संस्थान (50.03 करोड़ रुपए)।
- (x) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (34.39 करोड़ रुपए)।
- (xi) नेशनल इंस्टीट्यूट फार फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलोजी, रांची (11.99 करोड़ रुपए)।
- (xii) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (8.99 करोड़ रुपए)।
- (xiii) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (11.99 करोड़ रुपए)।
- (xiv) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (26.94 करोड़ रुपए)।
- (xv) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद (73.99 करोड़ रुपए)।
- (xvi) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर (17.99 करोड़ रुपए)।
- (xvii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम (6.59 करोड़ रुपए)।
- (xviii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर (20.09 करोड़ रुपए)।
- (xix) न्यू स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की स्थापना (14.99 करोड़ रुपए)।
- (xx) भारतीय शिक्षा अनुसंधान विज्ञान संस्थान (218.76 करोड़ रुपए)।

As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants for creation of capital assets for the following Institutions for meeting additional expenditure requirements:

- (i) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) (Rs.21.59 crore).
- (ii) Board of Apprenticeship Training Mumbai, Kolkata, Kanpur & Chennai (Rs.0.56 crore).
- (iii) Grants to Indian Institute of Science, Bangalore (Rs.59.99 crore).
- (iv) Grants for Quality Improvement Programme - Community Polytechnics (Rs.29.99 crore).
- (v) Polytechnic for Disabled Persons (Rs.0.35 crore).
- (vi) Up gradation of existing/setting up of new polytechnics (Rs.219.98 crore).
- (vii) Women's Hostel in polytechnics (Rs.107.98 crore).
- (viii) Indian Institutes of Technology (Rs.686.47 crore).
- (ix) Indian Institutes of Management (Rs.50.03 crore).
- (x) National Institute of Industrial Engineering, Mumbai (Rs.34.39 crore).
- (xi) National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi (Rs.11.99 crore).
- (xii) School of Planning and Architecture (Rs.8.99 crore).
- (xiii) Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (Rs.11.99 crore).
- (xiv) Indian Institute of Information Technology, Allahabad (Rs.26.94 crore).
- (xv) Indian School of Mines, Dhanbad (Rs.73.99 crore).
- (xvi) Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior (Rs.17.99 crore).
- (xvii) Indian Institute of Information Technology, Kanchipuram (Rs.6.59 crore).
- (xviii) Indian Institute of Information Technology at Jabalpur (Rs.20.09 crore).
- (xix) Setting up of New School of Planning and Architecture (Rs.14.99 crore).
- (xx) Indian Institutes of Science for Education Research (Rs.218.76 crore).

- (xxi) नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (5.03 करोड़ रुपए)।
- (xxii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (161.98 करोड़ रुपए)।
- (xxiii) नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (279.42 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान:
- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (88.99 करोड़ रुपए)।
- (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (149.99 करोड़ रुपए)।
- (iii) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) संस्थान (2.39 करोड़ रुपए)।
- (iv) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम कम्प्यूनिटी पोलिटेक्निकों के लिए अनुदान (12.99 करोड़ रुपए)।
- (v) मौजूदा पोलिटेक्निकों का उन्नयन/नए पोलिटेक्निकों की स्थापना (79.98 करोड़ रुपए)।
- (vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (62.31 करोड़ रुपए)।
- (vii) भारतीय प्रबंधन संस्थान (19.91 करोड़ रुपए)।
- (viii) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार (6.31 करोड़ रुपए)।
- (ix) नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (6.94 करोड़ रुपए)।
- (x) पोलिटेक्निकों में महिला छात्रावास (11.98 करोड़ रुपए)।
- (xi) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (17.98 करोड़ रुपए)।
- (xii) आईसीटी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (2.79 करोड़ रुपए)।
- (xiii) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर (5.58 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) 'विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान में सुधार' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की आवश्यकताओं पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान (2000.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (xxi) Setting up of New National Institutes of Technology (Rs.5.03 crore).
- (xxii) National Institutes of Technology (NITs) (Rs.161.98 crore).
- (xxiii) Setting up of New Indian Institutes of Technology (Rs.279.42 crore).
- As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants for creation of capital assets for the following Institutions for meeting additional expenditure requirements:
- (i) University Grants Commission (Rs.88.99 crore).
- (ii) Grants to Central Universities (Rs.149.99 crore).
- (iii) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) (Rs.2.39 crore).
- (iv) Grants for Quality Improvement Programme Community - Polytechnics (Rs.12.99 crore).
- (v) Up gradation of existing/setting up of new polytechnics (Rs.79.98 crore).
- (vi) Indian Institutes of Technology (Rs.62.31 crore).
- (vii) Indian Institutes of Management (Rs.19.91 crore).
- (viii) Central Institutes of Technology, Kokrajhar (Rs.6.31 crore).
- (ix) Setting up of New National Institutes of Technology (Rs.6.94 crore).
- (x) Women's Hostel in polytechnics (Rs.11.98 crore).
- (xi) National Institutes of Technology (NITs) (Rs.17.98 crore).
- (xii) National Mission in Education through ICT (Rs.2.79 crore).
- (xiii) North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar (Rs.5.58 crore).
- As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-aid-General to State Governments for meeting additional expenditure requirements under the scheme "Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers" (Rs.2000.00 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.59

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)।

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.03	...
	स्वीकृत	Voted:	2269.68	334.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			2604.22
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2269.72	334.54	2604.26
	भारित	Charged:	0.03	...
	स्वीकृत	Voted:	2269.69	334.54
				2604.23

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2220-सूचना और प्रचार	2220- Information and Publicity			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
				0.01

यह पूरक अनुदान गैर-सरकारी संगठनों को वृत्त चित्रों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए अपेक्षित है (3.50 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में पर्याप्त बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required to provide grants-in-aid to the Non-Government Organizations for production of documentary films (Rs.3.50 crore). As sufficient savings are available in the revenue section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिए)।

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	0.02	...
	स्वीकृत	Voted:	3165.00	763.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	स्वीकृत	Voted:	186.00	...
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3351.02	763.40
	भारित	Charged:	0.02	...
	स्वीकृत	Voted:	3351.00	763.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
2230-श्रम एवं रोजगार		2230-Labour and		
	स्वीकृत	Employment	Voted:	175.00 (का)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		3601-Grants-in-aid to		
	स्वीकृत	State Governments	Voted:	11.00 (खब)
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	186.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है :

The supplementary grants are required for the following purposes:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(क) (i) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) योजना का केन्द्रीय हिस्सा जारी करने हेतु (75.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ii) 'दक्षता विकास पहल' योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में लम्बित बिलों के निपटान और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भुगतान (100 करोड़ रुपए)। इसमें वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के युवाओं को इसी योजना के अन्तर्गत दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना शामिल होगा।</p> <p>(ख) मॉड्यूलर एम्प्लोएबल स्कीम (एमईएस) के तहत जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं के दक्षता विकास संबंधी अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (11 करोड़ रुपए)।</p> <p>इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) (i) For releasing Central Share of Rasthriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) scheme to State Governments (Rs.75.00 crore).</p> <p>(ii) Payment for clearing pending bills and providing training in the current financial year under the scheme of 'Skill Development Initiative' (Rs.100 crore). This would include Rs. 50 crore of skill training to youth of Left Wing Extremism areas, under the same Scheme.</p> <p>(b) For meeting additional expenditure requirements on Skill Development of the youth of Jammu & Kashmir under Modular Employable Scheme (MES) (Rs.11 crore).</p> <p>This will entail cash outgo.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

मांग संख्या DEMAND NO.62

विधि एवं न्याय
LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिए)।
(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	672.17	15.02	687.19
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत Total (Original plus Supplementary)	Voted:	268.52	...	268.52
			940.69	15.02	955.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat General Services	Voted:	...	1.27 (का)	1.27
2014-न्याय प्रशासन	स्वीकृत	2014- Administration of Justice	Voted:	...	2.25 (खb)	2.25
2015-चुनाव	स्वीकृत	2015- Elections	Voted:	...	265.00 (गc)	265.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		...	268.52	268.52

इन पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है :

- (क) बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसके भवन पुनरुद्धार कार्य के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (1.27 करोड़ रुपए)।
- (ख) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद निपटान केन्द्र, के भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए "गैर-आवर्ती व्यय" की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (2.25 करोड़ रुपए)।
- (ग) (i) मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (150 करोड़ रुपए)।
- (ii) चुनाव आयोग द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीद हेतु भुगतान (115 करोड़ रुपए)।
- इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure for the following purposes:

- (a) For providing grants-in-aid to Bar Council of India for its building renovation work (Rs.1.27 crore).
- (b) For providing grants-in-aid for meeting 'non-recurring expenses' for building purposes of International Centre for Alternative Dispute Resolution (Rs.2.25 crore).
- (c) (i) For meeting additional expenditure in connection with preparation of Electors Photo Identity Cards (EPIC) (Rs. 150 crore).
- (ii) For payment towards purchase of Electronic Voting Machines (EVMs) by the Election Commission (Rs.115 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 65

खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिए)।

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.14	...
	स्वीकृत	Voted:	526.21	39.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			0.14
	भारित	Charged:	0.14	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	526.49	39.79	566.28
	भारित	Charged:	0.28	...
	स्वीकृत	Voted:	526.21	39.79
				0.28
				566.00

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services			
	भारित	Charged:	...	0.14
				0.14

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के फलस्वरूप मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting payment of wage arrears arising out of judgement awarded by the Central Administrative Tribunal. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 71

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिए)।

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	14.08	23.08
	स्वीकृत	Voted:	561.77	683.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	भारित	Charged:	4.00	4.00
			...	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	579.85	710.36
	भारित	Charged:	18.08	27.08
	स्वीकृत	Voted:	561.77	683.28

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	भारित	2070- Other Administrative Services		
		Charged:	...	4.00
				4.00

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता केन्द्रीय सतर्कता आयोग के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता और शिक्षा अभियान आरंभ करने हेतु है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for Central Vigilance Commission for undertaking awareness and education campaign against corruption. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 72

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिए)।

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	3179.00	...	3179.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	14000.00	...	14000.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	17179.00	...	17179.00	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum				
स्वीकृत	Voted:	...	14000.00	14000.00	

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों की एवज में तेल विपणन कम्पनियों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for providing compensation to Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of petroleum products. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 73

योजना मंत्रालय
MINISTRY OF PLANNING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिए)।

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:					
	स्वीकृत	Voted:	1866.21	193.11	2059.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1866.22	193.11	2059.33

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग					
मुख्य शीर्ष					
3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

3451-Secretariat-Economic Services

यह पूरक अनुदान अवसंरचना विकास वित्त निगम को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारतीय आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु (0.25 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is required to recoup the advance taken from the Contingency Fund of India to meet the requirement of National Transport Development Policy Committee for providing Grants-in-aid General to Infrastructure Development Finance Corporation (Rs. 0.25 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.74

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिए)।

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	11386.74	4428.84	15815.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत		24.45	710.65	735.10
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Voted:	11411.19	5139.49	16550.68

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	स्वीकृत	Voted:	...	24.45 (का)	24.45
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Voted:	710.65 (खब)	...	710.65
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Voted:	710.65	24.45	735.10

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शायी गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।**Note:** The above estimates do not include the recoveries, shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	स्वीकृत	Voted:	...	(-) 24.45 (का)	(-) 24.45
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Voted:	(-)710.65 (खब)	...	(-) 710.65

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

(क) केन्द्रीय बिजली विनियामक आयोग (सीईआरसी) की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि इस व्यय की पूर्ति वसूलियों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड) को आवंटित कोयला खंडों के संबंध में कोयला उत्पादन क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) के तहत अधिग्रहित भूमि की क्षतिपूर्ति का संवितरण। इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इसकी पूर्ति वसूलियों द्वारा की जाएगी। इसमें से 25 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति भारत की आकस्मिकता निधि से जारी अग्रिम से की जाएगी जिससे कि अपेक्षित अत्यावश्यक व्यय की पूर्ति की जा सके।

The supplementary grant is sought for the following purpose:

(a) For meeting establishment related expenditure of Central Electricity Regulatory Commission (CERC). Since this expenditure will be matched by recoveries, there will be no cash outgo.

(b) Disbursement of compensation of land acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) in respect of Coal blocks allotted to National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited). This supplementary does not entail cash outgo as it is matched by recoveries. Of this, Rs. 25 crore will recoup the advance released from the Contingency Fund of India to meet urgent expenditure for the same requirement.

मांग संख्या DEMAND NO.81

ग्रामीण विकास विभाग
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिए)।

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 137880.16	7.82	137887.98
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत Total (Original plus Supplementary)	Voted: 7337.50	...	7337.50
		Voted: 145217.66	7.82	145225.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत 2552-North Eastern Areas	Voted: 700.00 (का)	...	700.00
2216-आवास	स्वीकृत 2216-Housing	Voted: 337.50 (खब)	...	337.50
3054-सड़कें एवं पुल	स्वीकृत 3054-Roads and Bridges	Voted: 6300.00 (गक)	...	6300.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted: 7337.50	...	7337.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के प्रावधान का संवर्धन। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ख) झारखंड राज्य में अतिरिक्त एक लाख मकानों के निर्माण संबंधी ग्रामीण आवास के तहत इंदिरा आवास योजना की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। इसमें पीएमजीएसवाई के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्ययोजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) augmentation of provision for the projects/schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim for implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. This will entail cash outgo.</p> <p>(b) meeting additional requirement of Indira Awas Yojana under Rural Housing towards construction of additional one lakh houses in the State of Jharkhand. This will entail cash outgo.</p> <p>(c) meeting additional requirement of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY). This also includes provision of Rs.2000 crore for left wing extremism affected districts for PMGSY under integrated action plan for the affected areas. This will entail cash outgo.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

मांग संख्या DEMAND NO.84

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिए)।

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:				
	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	...
	स्वीकृत	Voted:	2338.88	37.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			2376.48
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2338.91	37.60
	भारित	Charged:	0.02	...
	स्वीकृत	Voted:	2338.89	37.60
				2376.49

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	MAJOR HEAD			
	3425-Other Scientific Research			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
				0.01

यह पूरक अनुदान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत सोसायटी 'इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेन्टर (आईजीएसटीसी)' की स्थापना के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु अपेक्षित है (13.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for providing Grants-in-aid to set up a society 'Indo-German Science & Technology Centre (IGSTC)' under International Cooperation (Rs.13.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.87

पोत परिवहन मंत्रालय
MINISTRY OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिए)।
(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	1654.41	518.48	2172.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1654.41	518.49	2172.90
स्वीकृत	Voted:	1654.41	518.49	2172.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7051-पत्तन तथा द्वीप स्तम्भों को ऋण	7051-Loans for Ports and Light Houses			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में केपिटल ड्रेजिंग प्रोजेक्ट पर व्यय (80.52 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु की गयी है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The Supplementary Grant is sought for meeting expenditure on Capital Dredging Project at the Cochin Port Trust (Rs.80.52 crore). As Savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.88

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिए)।

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	4374.00	200.00	4574.00
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत Total (Original plus Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	4374.02	200.00	4574.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	स्वीकृत 2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत 2235- Social Security and Welfare	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:-

- (क) विश्वविद्यालय/स्वैच्छिक संगठनों को अनुसूचित जाति के लड़कों के छात्रावास (3.00 करोड़ रुपए) और अनुसूचित जाति की लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए (3.00 करोड़ रुपए) सहायता अनुदान जारी करने हेतु।
- (ख) (i) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए (1.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान के भवन निर्माण हेतु सहायता अनुदान जारी करने के लिए (15.00 करोड़ रुपए)।
- (iii) दीन दयाल अशक्त पुनर्वास योजना के तहत भवन निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान जारी करने हेतु (0.15 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- (a) For releasing of Grants-in-aid to Universities/Voluntary Organisations for construction of Hostels for Scheduled Castes Boys (Rs.3.00 crore) and Hostel for Scheduled Castes Girls (Rs.3.00 crore).
- (b) (i) For setting up of Indian Sign Language Research and Training Centre (Rs.1.00 crore).
- (ii) For releasing Grants-in-aid to National Institute for Disabled Persons for construction of Building (Rs.15.00 crore).
- (iii) For releasing Grants-in-aid under the scheme of Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme to Voluntary Organizations for construction of building (Rs.0.15 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 90

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिए)।
(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 2138.66	9.69	2148.35
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत Total (Original plus Supplementary)	Voted: 0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted: 2138.67	9.69	2148.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	स्वीकृत 3454-Census, Surveys and Statistics	Voted: 0.01	...	0.01

13.81 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान आयोजना स्कीम "क्षमता विकास" के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (i) राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (नैड) द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) के लिए डाटा जाब संग्रहण हेतु डाक विभाग को संशोधित मांग के लिए व्यावसायिक सेवाओं के अन्तर्गत भुगतान।
- (ii) 67वें सर्वेक्षण दौर हेतु संविदा आधार पर नियुक्त अन्वेषकों/पर्यवेक्षकों की व्यावसायिक सेवाओं तथा घरेलू यात्रा व्यय पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इस सर्वेक्षण में गैर-कृषि उद्यम तथा सेवा व्यापार और विनिर्माण शामिल है जिसका संचालन फील्ड आपरेशन डिविजन (एफओडी), राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किया जाएगा।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for Rs. 13.81 crore under the Plan Scheme "Capacity Development" for the following purposes:

- (i) Payment under Professional Services for revised demand of Department of Posts for undertaking the job of data collection for Consumer Price Index (Rural) by National Accounts Division (NAD).
- (ii) For meeting additional expenditure on Professional Services and Domestic Travel Expenses of investigator/supervisors appointed on contract basis for 67th Round of Survey covering Non-Agricultural Enterprises and Services Trade and Manufacturing to be conducted by Field Operation Division (FOD), National Sample Survey Organisation(NSSO).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.92

कपड़ा मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिए)।

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 5478.94	129.14	5608.08
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 500.00	12.50	512.50
			Voted: 5978.94	141.64	6120.58

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852- Industries	Voted: ...	500.00 (का)	500.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत	6860- Loans for Consumer Industries	Voted: ...	12.50 (खb)	12.50
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: ...	512.50	512.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(क) भारतीय कपास निगम को कपास पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्रवाई की वजह से हुई हानियों की प्रतिपूर्ति। इसमें नकद व्यय होगा।

(a) re-imburement of losses to Cotton Corporation of India on account of MSP Operation on cotton. This will entail cash outgo.

(ख) बकाया वेतनों और पारिश्रमिकों के भुगतान हेतु ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के संसाधनों में अंतराल को भरने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) for meeting the gap in resources of British India Corporation for payment of outstanding salaries and wages. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 93

पर्यटन मंत्रालय
MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिए)।

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 1108.41	11.00	1119.41
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 0.01	...	0.01
	स्वीकृत		Voted: 1108.42	11.00	1119.42

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted: 0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 दिल्ली के लिए बजट सहायता की अतिरिक्त मांग की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदित/लाइसेंसशुदा अतिथि गृहों के उन्नयन हेतु व्याज सब्सिडी योजना के तहत निधियों को उपलब्ध कराने के लिए है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for providing funds under scheme of interest subsidy for up-gradation of approved/licensed Guest Houses in NCT of Delhi to meet the additional demand of budget accommodation for the Commonwealth Games 2010, Delhi (Rs.1.00 crore). As saving is available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.94

जनजातीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिए)।

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	2822.07	...	2822.07
	स्वीकृत	Voted:	328.30	70.00	398.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3150.40	70.00	3220.40
	भारित	Charged:	2822.08	...	2822.08
	स्वीकृत	Voted:	328.32	70.00	398.32

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	स्वीकृत	2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	भारित	3601- Grants-in-aid to State Governments	Charged:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.03	...	0.03
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01	
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02	

इस पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) (i) अनुसूचित जन जातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान - योजना के तहत अन्य व्यय में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु तथा कोचिंग और संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार (1.29 करोड़ रुपए) तथा "अनुसूचित जनजाति वर्ग की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास योजना" की योजना के तहत शिक्षा में (4.99 करोड़ रुपए) अनुदान प्रदान करने हेतु।
- (ii) निम्नलिखित योजना के तहत अन्य व्यय में सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (0.01 करोड़ रुपए), (ii) कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढीकरण (0.01 करोड़ रुपए) तथा निम्नलिखित योजना के तहत शिक्षा में (i) विशेषकर कमजोर आदिवासी समूह (पीटीजी) का विकास (0.01 करोड़ रुपए), (ii) कोचिंग और संबद्ध योजना और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) (i) For providing Grants for creation of capital assets in Other Expenditure under the scheme of Grant-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service (Rs. 1.29 crore) and in Education under the scheme "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys" (Rs.4.99 crore).
- (ii) For providing Grants-in-aid General in Other Expenditure, under the scheme (i) Vocational Training in Tribal Areas (Rs.0.01 crore), (ii) Strengthening of Education among ST Girls in Low Literacy Districts (Rs.0.01 crore) and in Education, under the scheme of (i) Development of Particularly Vulnerable Tribal Group (PTGs) (Rs.0.01 crore), (ii) Grant-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service (Rs.0.01 crore).

- (ii) एनजीओ प्रभाग की योजना की मॉनिटरिंग और स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए मॉनिटरिंग और मूल्यांकन योजना में अन्य प्रभार प्रदान करने के लिए (1.20 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।

- (ख) (i) अनुसूचित जनजाति वर्ग की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति शिक्षा के कल्याण में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु (9.99 करोड़ रुपए)।
(ii) निम्नलिखित योजना के तहत अनुसूचित जनजाति शिक्षा के कल्याण में सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) कोचिंग एवं संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपए), (ii) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (0.01 करोड़ रुपए), तथा (iii) विशेषकर कमजोर आदिवासी समूह (पीटीजी) का विकास (0.01 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।

- (ग) (i) निम्नलिखित में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु (i) आदिवासी उप-आयोजना स्कीम के तहत (269.99 करोड़ रुपए), (ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक योजना के तहत (836.99 करोड़ रुपए), (ii) विशेषकर कमजोर आदिवासी समूह (पीटीजी) के विकास की योजना के तहत (29.99 करोड़ रुपए), (iv) अनुसूचित जनजाति वर्ग के लड़कों और लड़कियों की छात्रावास योजना के तहत (62.99 करोड़ रुपए) और (v) आदिवासी उप-आयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल की स्थापना की योजना के तहत (74.99 करोड़ रुपए)।
(ii) निम्नलिखित योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) कोचिंग और संबद्ध योजना और अनुकरणीय सेवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपए), (ii) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (0.01 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।

- (iii) For providing Other Charges in the Scheme of Monitoring and Evaluation for the Monitoring and Independent Evaluation of the Scheme of NGO Division (Rs.1.20 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) For providing Grants for creation of capital assets in Welfare of Scheduled Tribes-Education under the Scheme of Hostels for ST Girls and Boys (Rs.9.99 crore).
(ii) For providing Grants-in-aid General in Welfare of Scheduled Tribes-Education, under the scheme of (i) Grant-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for exemplary service (Rs.0.01 crore), (ii) Vocational Training in Tribal Areas (Rs.0.01 crore), and (iii) Development of Particularly Vulnerable Tribal Group (PTGs) (Rs.0.01 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) For providing Grants for creation of capital assets (i) under the Scheme of Tribal Sub-Plan (Rs.269.99 crore), (ii) under the Scheme of Proviso to Article 275(1) of the Constitution (Rs.836.99 crore), (iii) under the scheme of Development of Particularly Vulnerable Tribal Group (PTGs) (Rs.29.99 crore), (iv) under the Scheme of Hostels for ST Girls and Boys (Rs.62.99 crore) and (v) under the scheme of Establishment of Ashram School in Tribal Sub Plan Areas (Rs.74.99 crore).
(ii) For providing Grants-in-aid General under the scheme of (i) Grant-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for exemplary service (Rs.0.01 crore), (ii) Vocational Training in Tribal Areas (Rs.0.01 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.95

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिए)।

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.01	...
	स्वीकृत	Voted:	1775.11	387.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			2162.80
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1775.13	387.69
		Charged:	0.01	...
	स्वीकृत	Voted:	1775.12	387.69
				2162.81

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 3054-सड़कें और पुल	Ministry of Road Transport and Highways REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3054-Roads and Birdges	Voted	...	0.01
				0.01

यह पूरक अनुदान उन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु जिन्हें पंचायती राज संस्था को अंतरित किया गया है, मांगा गया है (3.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः संकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure towards repairs and maintenance of roads which has been transferred to Panchayati Raj Institution (Rs.3.00 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 96

चंडीगढ़ CHANDIGARH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 देखिए)।

(See page No. 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	71.26	0.05
	स्वीकृत	Voted:	1729.69	515.91
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required			
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1800.95	515.97	2316.92
	भारित	Charged:	71.26	0.05
	स्वीकृत	Voted:	1729.69	515.92

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
संस्कृति मंत्रालय	Ministry of Culture			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
				0.01

यह पूरक अनुदान सरकारी संग्रहालय और कला दीर्घा का कार्य आरंभ करने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है (0.18 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure for starting the work of Government Museum and Art Gallery (Rs.0.18 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 100

शहरी विकास विभाग
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 देखिए)।

(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	<i>Charged:</i>	29.41	20.62	50.03
	स्वीकृत	<i>Voted:</i>	1183.20	4755.98	5939.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	<i>Voted:</i>	...	300.00	300.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1212.61	5076.60	6289.21
	भारित	<i>Charged:</i>	29.41	20.62	50.03
	स्वीकृत	<i>Voted:</i>	1183.20	5055.98	6239.18

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय		4217-Capital Outlay on Urban			
	स्वीकृत	<i>Voted:</i>	300.00	...	300.00

यह पूरक अनुदान राष्ट्रमंडल खेल 2010 से पहले पूरा किए जाने वाले चरण-II नेटवर्क संबंधी निर्माण कार्य के लिए डीएमआरसी को इक्विटी के रूप में प्रदान करने हेतु मांगा गया है (300.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought as equity to DMRC (Rs. 300.00 crore) in connection with work related to Phase II Network to be completed before Commonwealth Games, 2010. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 101

लोक निर्माण कार्य
PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 देखिए)।

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित स्वीकृत	Charged: Voted:	1.00 1070.89	1.00 399.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	स्वीकृत	Voted:	0.37	69.50
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1072.26	470.19
	भारित स्वीकृत	Charged: Voted:	1.00 1071.26	1.00 469.19
				2.00 1540.45

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	Voted:	...	0.37 (क)
जोड़ (राजस्व भाग)			0.37	0.37
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Voted:	34.50 (ख)	35.00 (ग)
जोड़ (पूरक)			34.50	35.37
				69.87

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं:

The supplementary grants are required for the following purposes:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (क) राजघाट के आसपास के क्षेत्र में पुनरुद्धार कार्य और राजघाट पार्किंग की बायीं चहारदीवारी के पुनर्निर्माण (0.19 करोड़ रुपए) और राजघाट में स्प्रिंकल सिस्टम की मरम्मत हेतु (0.18 करोड़ रुपए) अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। | (a) For meeting the additional requirement for the renovation work of the surrounding area of the Rajghat and for the reconstruction of left boundary wall of Rajghat Parking (Rs. 0.19 crore) and for the repairing of Sprinkler system at Rajghat (Rs. 0.18 crore). |
| (ख) दिल्ली की स्टेडियम के चारों ओर की सड़कों की स्ट्रीट स्केपिंग और राष्ट्रमंडल खेलों के स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में सौन्दर्य कार्य, मरम्मत एवं पुनर्वास, उन्नयन और दिखावट में सुधार जैसे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (34.50 करोड़ रुपए)। | (b) For meeting the additional requirement to complete the works like street scaping of Delhi Roads around Stadium and Aesthetic Work, Repair and rehabilitation, upgradation & facade improvement in the vicinity of Commonwealth Venues (Rs. 34.50 crore). |
| (ग) सेन्ट्रल विस्टा में सजाने-संवारने के कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रमंडल खेल संबंधी चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (35.00 करोड़ रुपए)। | (c) For meeting the additional requirement for sprucing up works at central vista as well as completion of ongoing works relating to Common Wealth Games (Rs. 35.00 crore). |

इस पूरक अनुदान में 69.87 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

This supplementary entails cash outgo of Rs. 69.87 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 103

जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 127 देखिए)।

(See page 127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:				
	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	...	4.00
	स्वीकृत	Voted:	1020.52	107.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	30.02	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1050.54	111.00	1161.54
	भारित	Charged:	...	4.00
	स्वीकृत	Voted:	1050.54	107.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2701-मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	स्वीकृत	2701-Major & Medium Irrigation	Voted:	...
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत	3075-Other Transport Services	Voted:	...
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat Economic Services	Voted:	...
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	...	30.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grants is required for the following purposes:

- (क) केन्द्रीय जल आयोग के तहत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अनियत मजदूरों की मजदूरी के भुगतान हेतु (0.04 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) फरक्का बराज प्रोजेक्ट हॉस्पिटल में दवाईयों, जीवन रक्षक औषधियों की खरीद और ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु (0.02 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) किशनगंगा पन-बिजली परियोजना के संबंध में विवाचन न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए विवाचक/निर्णायक तथा विशेषज्ञों के शुल्क की पूर्ति हेतु (30.00 करोड़ रुपए) तथा महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण का स्थापना संबंधी व्यय प्रदान करने हेतु (3.01 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 3.01 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 30 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (a) For payment of wages of casual labourers as per the recommendation of 6th Central Pay Commission under Central Water Commission (Rs. 0.04 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For purchasing of medicine, life saving drugs and supply of oxygen in the Farakka Barrage Project Hospital (Rs. 0.02 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For meeting fees of Arbitrators/Umpires and Experts for proceedings of Court of Arbitration on Kishenganga Hydro-Electric Project (Rs. 30.00 crore) and to provide establishment related expenditure towards Mahadayi Water Dispute Tribunal (Rs. 3.01 crore). Taking into account the savings of Rs. 3.01 crore available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs. 30 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.104

महिला और विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 देखिए)।

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:				
	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 11070.50	...	11070.50
	स्वीकृत	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 11070.52	...	11070.52

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत 2235-Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत 2552-North Eastern Areas	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है:

(क) (i) पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान को अनुदान (3.50 करोड़ रुपए)।

(ii) पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु एकीकृत महिलाओं के छात्रावास योजना हेतु अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।

(iii) पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु एकीकृत बाल संरक्षण योजना हेतु अनुदान (1.34 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ख) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु एकीकृत बाल विकास योजना हेतु अनुदान (100.00 करोड़ रुपए)।

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु एकीकृत बाल संरक्षण योजना हेतु अनुदान (4.72 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant are sought for the following purposes:

(a) (i) Grants to National Institute of Public Co-operation and Child Development for Creation of Capital Assets (Rs. 3.50 crore).

(ii) Grants to Working Women's Hostel for Creation of Capital Assets (Rs. 10.00 crore).

(iii) Grants to Integrated Child Protection Scheme for Creation of Capital Assets (Rs. 1.34 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants for Integrated Child Development Scheme for Creation of Capital Assets in North Eastern Areas (Rs. 100.00 crore).

(ii) Grants for Integrated Child Protection Scheme for Creation of Capital Assets in North Eastern Areas (Rs. 4.72 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.105

युवा कार्य और खेल मंत्रालय
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 देखिए)।

(See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	2355.43	1209.57	3565.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	22.45	193.42	215.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	2377.88	1402.99	3780.87

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा सेवाएं	स्वीकृत 2204-Sports and Youth Services	Voted: 22.45 (का)	...	22.45
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत Total Revenue Section	Voted: 22.45	...	22.45
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6202-शिक्षा, खेल और कला और संस्कृति हेतु ऋण	स्वीकृत 6202-Loans for Education, Sports, Art and Culture	Voted: ...	193.42 (खब)	193.42
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत Total Capital Section	Voted: ...	193.42	193.42
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted: 22.45	193.42	215.87

यह पूरक अनुदान राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के तहत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है:

The supplementary grant is required for the following purposes under Commonwealth Games, 2010:

- (क) (i) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान सुरक्षा की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (20.71 करोड़ रुपए)।
- (ii) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए आर. के. खन्ना स्टेडियम की भार क्षमता बढ़ाने हेतु बाम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (बीएसईएस) को भुगतान हेतु सहायता अनुदान (1.44 करोड़ रुपए)।
- (iii) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए प्रौद्योगिकी उपस्कर कक्ष हेतु एयर कंडीशनर प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान (0.30 करोड़ रुपए)।

इसमें 22.45 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (ख) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के उद्घाटन और समापन समारोह आयोजन समिति को ऋण के रूप में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। (193.42 करोड़ रुपए)।

इसमें 193.42 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (a) (i) Grants-in-aid for meeting additional requirement for Security During Commonwealth Games, 2010 (Rs. 20.71 crore).

- (ii) Grants-in-aid for making payment to Bomaby Suburban Electricity Supply (BSES) for enhancing the load capacity of R.K. Khanna Stadium for Commonwealth Games, 2010 (Rs. 1.44 crore).

- (iii) Grants-in-aid for providing Air Conditioner for Technology Equipment Room (TER) for Commonwealth Games, 2010 (Rs. 0.30 crore).

This will entail cash outgo of Rs. 22.45 crore.

- (b) An additional amount is required as Loan to the Organizing Committee for Opening and Closing Ceremony of Commonwealth Games, 2010 (Rs. 193.42 crore).

This will entail cash outgo of Rs. 193.42 crore.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		114-तिलहन विकास			
		11-एकीकृत तिलहन, ऑइलपाम, दालें तथा मक्का विकास			मिनिकट्स की वर्धित आपूर्ति तथा प्रमाणित बीजों पर वर्धित सब्सिडी
		110031-सहायता अनुदान			
		114-Development of Oilseeds			
		11-Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses & Maize Development			Due to enhanced supply of minikits and increased subsidy on certified seeds.
		110031-Grants-in-aid	84.35	70.00	
		3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान			
		03-केन्द्रीय आयोजना स्कीम हेतु अनुदान			राज्यों से और अधिक प्रस्ताव
		451-फसल कार्य-बीज			
		09-बीजों के विकास तथा वितरण हेतु बीज ढांचागत सुविधाओं का विकास तथा सुदृढीकरण			
		090031-सहायता अनुदान			
		3601-Grants-in-aid to State Governments			
		03-Grants for Central Plan Scheme			
		451-Crop Husbandry-Seeds			
		09-Development and Strengthening of Seeds infrastructure facilities for production and distribution of seeds.			
		090031-Grants-in-aid	80.00	60.00	More proposals from States.
		04-केन्द्र प्रायोजित आयोजना स्कीम हेतु अनुदान			
		453-तिलहन विकास			
		02-एकीकृत तिलहन, ऑयल पाम, दालें तथा मक्का विकास			मिनिकट्स की वर्धित आपूर्ति तथा प्रमाणित बीजों पर वर्धित सब्सिडी
		020031-सहायता अनुदान			
		04-Grants for Centrally Sponsored Plan Scheme			
		453-Development of Oilseeds			
		02-Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses & Maize Development			Due to enhanced supply of minikits and increased subsidy on certified seeds.
		020031-Grants-in-aid	221.00	70.00	
2.	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	पशुरोग नियंत्रण (मु.शी.3601)			राज्य सरकारों से एवियन इन्फ्लूएन्जा के नियंत्रण हेतु निधियों की मांग पर अतिरिक्त राशि अपेक्षित थी।
	Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	Animal Disease Control (MH3601)	68.35	30.92	Additional amount was required for release of funds of demands from State Governments for control of Avian Influenza.
		चारा फसलों के सम्बन्ध में मिनिकट् परीक्षण (मु.शी.2403)			देश में सूखे के कारण चारा फसलों पर अतिरिक्त मिनिकट्स की आपूर्ति के कारण अतिरिक्त राशि।
		Minikit Testing on Fodder Crops (MH 2403)	9.10	7.40	Additional amount was due to supply of additional minikits on fodder crops owing to drought in country.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
5.	पोत परिवहन मंत्रालय Ministry of Shipping	अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण 3056-अन्तर्देशीय जल परिवहन (मुशी) 00.190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (गौण शीर्ष) 01-भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से अनुदान 01.00.31-सहायता अनुदान Inland Water Transport Authority 3056-Inland Water Transport (MH) 01.190-Assistance to Public Sector and Other Undertakings (Minor Head) 01-Grants to Inland Waterways Authority of India 01.0031-Grants-in-aid	50.00	10.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु निर्धारित निधियों में से राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास पर व्यय की पूर्ति हेतु। To meet expenditure on development of National Waterway in the North Eastern Region out of funds earmarked for that Region.
6.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह Andaman & Nicobar Islands	कृषि मंत्रालय 4401-पूंजी फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय 01-खाद तथा उर्वरक की खरीद Ministry of Agriculture 4401-Capital Outlay on Crop Husbandry 01-Purchase of Manures and Fertilizer	0.80	0.86	खाद्य/उर्वरकों की अतिरिक्त मांग की अधिप्राप्ति हेतु। For procurement of additional quantity of manures/fertilizers
7.	जल संसाधन मंत्रालय Ministry of Water Resources	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान 03-केन्द्रीय आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान 786-बाढ़ नियंत्रण-अन्य अनुदान 03-सीमा क्षेत्रों से सम्बन्ध नदी प्रबन्धन गतिविधियों तथा निर्माण कार्य 03.00.31-सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 03--Grants for Central Plan Schemes 786-Flood Control-Other Grants 03-River Management Activities and Works related to Border Areas 03.00.31-Grants-in-aid	80.00	20.00	राज्य सरकारों से सहायता अनुदानों हेतु अतिरिक्त प्रस्तावों को प्राप्त करके के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ। Excess was due to receiving of additional proposals for Grants-in-aid from State Governments.